

  
भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 31, 2014/चैत्र 10, 1936

No. 171]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 31, 2014/CHAITRA 10, 1936

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2014

**सा.का.नि. 239(अ).**— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित 128 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 129 की उपधारा (3), धारा 133, धारा 134, धारा 135 की उपधारा (4), धारा 136 की उपधारा (1), धारा 137 और धारा 138 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कंपनी (केंद्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 या इन नियमों के अधीन आने वाले विषयों पर कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन विहित किसी अन्य संबंधित नियम को, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** -

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (लेखा) नियम, 2014 है।
- (2) ये नियम 1 अप्रैल, 2014 से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं**— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) “अधिनियम” से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;
- (ख) “उपाबंध” से इन नियमों के उपाबंध अभिप्रेत है;
- (ग) “फीस” से कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में विहित फीस अभिप्रेत है;
- (घ) “प्ररूप” या “ई-प्ररूप” से इन नियमों के उपाबंध में दिए गए प्ररूप अभिप्रेत है जिनका उपयोग उससे संबंधित मामले के लिए किया जाएगा जिससे वे संबंधित हैं;
- (ङ) “अनुसूची” से अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है;
- (च) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(2) शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं किया गया है किंतु अधिनियम और कंपनी (परिभाषा ब्यौरों के विनिर्देश) नियम, 2014 में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम हैं।

**3. लेखापुस्तकों को इलेक्ट्रॉनिक रीति में रखने की रीति** – (1) लेखापुस्तकों और अन्य संगत बहियां और कागज इलेक्ट्रॉनिक रीति में रखे जाएंगे ताकि पश्चातवर्ती संदर्भ के लिए वह भारत में उपयोग के लिये पहुंच योग्य होंगे।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट लेखापुस्तकों और अन्य संगत बहियां और कागजात पूर्णतः उसी रूप विधान में रखी जाएंगी जिसमें ये मूल रूप से बनाई, भेजी या प्राप्त की गई थी या किसी ऐसे रूप विधान में जो तैयार की गई, भेजी गई या प्राप्त की गई जानकारी को सही से प्रस्तुत करे और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों में रखी गई जानकारी पूर्ण और अपरिवर्तित रहेगी।

(3) शाखा कार्यालयों से प्राप्त जानकारी में परिवर्तन नहीं किया जाएगा और इस रीति से रखा जाएगा कि यह शाखा कार्यालय से प्राप्त मूल जानकारी दर्शाए।

(4) दस्तावेज के इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में जानकारी किसी स्पष्ट रूप में दर्शित होने को सक्षम होगी।

(5) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का भंडारण, पुनः प्राप्ति, दरिद्रि या मुद्रण ऐसे उपयुक्त तंत्र में होगा जो लेखासंपरीक्षा समिति, यदि कोई हो, या बोर्ड उपयुक्त समझे और ऐसे अभिलेख, जब तक विधि द्वारा अनुज्ञात न हो, का निपटान या उसे अप्रयुक्त नहीं किया जाएगा:

परंतु इलेक्ट्रॉनिक रीति में रखी गई कंपनी की लेखाबहियों और अन्य बहियों तथा कागजों की एक प्रति, भारत के बाहर किसी स्थान पर रखे गए सहित, यदि कोई हो, आवधिक आधार पर भारत में भौतिक रूप से स्थित सर्वर में रखी जाएगी।

(6) कंपनी, वार्षिक आधार पर वित्तीय विवरणी की फाइलिंग के समय रजिस्ट्रार को निम्नलिखित जानकारी देगा –

(क) सेवा प्रदाता का नाम;

(ख) सेवा प्रदाता का आईपी पता;

(ग) सेवा प्रदाता का स्थान (जहां लागू हो);

(घ) जहां ऐसी लेखापुस्तकों तथा अन्य बहियां और कागजात किसी सेवा प्रदाता के पास रखी गई हैं वहां ऐसे सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराया गया पता।

**स्पष्टीकरण** – इस नियम के प्रयोजन के लिए, “इलेक्ट्रॉनिक रीति” पद के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (द) में यथापरिभाषित “इलेक्ट्रॉनिक रीति” भी है और इसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (न) में यथापरिभाषित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के अंतर्गत तथा अधिनियम के अधीन उससे समुन्देशित दिए गए इसके अर्थ में अभिप्रेत “लेखा बहियां” भी है।

**4. कतिपय वित्तीय जानकारीओं के रखरखाव और निदेशकों द्वारा उनके निरीक्षण से संबंधित शर्तें** – (1) भारत के बाहर रखी तथा अनुरक्षित की जा रही हुए कंपनी की लेखापुस्तकों के सार विवरण तिमाही अंतरालों पर रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में भेजे जाएंगे, जिसे कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में रखा जाएगा और निदेशकों को निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा।

(2) जहां देश के बाहर रखी गई कोई अन्य वित्तीय जानकारी निदेशक द्वारा अपेक्षित हों वहां निदेशक मांगी गई वित्तीय जानकारी का पूरा ब्यौरा और ऐसी मांगी गई जानकारी की अवधि देते हुए कंपनी से अनुरोध करेगा।

(3) कंपनी लिखित अनुरोध के प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर निदेशक को ऐसी वित्तीय जानकारी उपलब्ध कराएगी।

(4) उप-नियम (2) और उपनियम (3) के अधीन अपेक्षित वित्तीय जानकारी निदेशक द्वारा स्वयं ही मांगी जाएगी न कि उसके मुख्तारनामाधारक या अभिकर्ता या प्रतिनिधि द्वारा या उसके माध्यम से।

**5. अनुषंगियों के वित्तीय विवरणियों की प्रमुख विशेषताओं की विवरणी का प्ररूप** – धारा 129 की उपधारा (3) के पहले परंतुक के अधीन कंपनी की अनुषंगी कंपनी या कंपनियों, सहयोगी कंपनी या कंपनियों और संयुक्त उपक्रम या उपक्रमों के वित्तीय विवरण की प्रमुख विशेषता का विवरण प्ररूप एओसी-1 में होगा।

**6. लेखाओं के समेकन की रीति** – कंपनी के लेखों का समेकन अधिनियम की अनुसूची-3 के उपबंधों और लागू लेखा मानकों के अनुसार किया जाएगा:

परंतु धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन आने वाली किसी कंपनी की दशा में, जिसके लिए लेखा मानकों के अधीन समेकित वित्तीय विवरणी तैयार करना अपेक्षित नहीं है, कंपनी द्वारा अधिनियम की अनुसूची-3 में यथाउपबंधित समेकित वित्तीय विवरणी संबंधी उपबंधों का अनुपालन करना पर्याप्त होगा।

7. **लेखा मानकों के संबंध में संक्रमणकालीन उपबंध** – (1) कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट लेखा मानक ही लेखा मानक माने जाएंगे जब तक कि केंद्रीय सरकार धारा 133 के अधीन लेखा मानक विनिर्दिष्ट न करे।

(2) जब तक अधिनियम की धारा 132 के अधीन राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का गठन नहीं हो जाता है तब तक केन्द्रीय सरकार भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 210क के अधीन गठित लेखा मानकों पर राष्ट्रीय परामर्श समिति की सलाह से और उसके द्वारा की गई अनुशंसाओं पर विचार करने के बाद, यथा अनुशंसित लेखा मानक या उसका कोई परिशिष्ट विहित कर सकती है।

8. **बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले विषय** – (1) बोर्ड की रिपोर्ट कंपनी के अपने वित्तीय विवरणी के आधार पर तैयार की जाएगी और रिपोर्ट में एक पृथक खंड होगा जिसमें समेकित वित्तीय विवरणी में शामिल प्रत्येक अनुषंगी कंपनी, सहयोगी कंपनी और संयुक्त उपक्रम कंपनी के निष्पादन और वित्तीय स्थिति पर एक रिपोर्ट होगी।

(2) बोर्ड की रिपोर्ट में धारा 188 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ संविदाओं या करारों के ब्यौरे प्ररूप एओसी-2 में दिए जाएंगे।

(3) बोर्ड की रिपोर्ट में निम्नलिखित जानकारी और ब्यौरे होंगे, अर्थात्:-

**(क) ऊर्जा का संरक्षण-**

- (i) ऊर्जा के संरक्षण के लिए किए गए उपायों और उसके प्रभाव;
- (ii) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा किए गए उपाय;
- (iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश;

**(ख) तकनीक आमेहन –**

- (i) तकनीकी आमेहन के लिए किए गए प्रयास;
- (ii) व्युत्पन्न लाभ, जैसे उत्पाद में सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास और आयात प्रतिस्थापन;
- (iii) आयातित तकनीक की दशा में (वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पिछले तीन वर्षों की गणना के दौरान आयातित);

- (क) आयातित तकनीक के ब्यौरे;
- (ख) आयात का वर्ष;
- (ग) क्या तकनीक पूरी तरह आमेहित की गई है;
- (घ) यदि पूरी तरह आमेहित नहीं की गई है तो वे स्थान जहां आमेहन नहीं हुई हैं, उसके कारण; और

(iv) अनुसंधान और विकास पर हुआ व्यय।

**(ग) विदेशी मुद्रा आय और व्यय –**

वर्ष के दौरान वास्तविक आगम के अनुसार अर्जित विदेशी मुद्रा और वास्तविक निर्गम के निबंधनों में वर्ष के दौरान निर्गामी विदेशी मुद्रा।

(4) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रकल्पित पच्चीस करोड़ रुपए या अधिक की प्रदत्त शेयर पूंजी वाली प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी और प्रत्येक अन्य पब्लिक कंपनी अपने निदेशक मंडल की रिपोर्ट में बोर्ड द्वारा अपने निष्पादन और अपनी समितियों तथा व्यक्तिगत निदेशकों के निष्पादन का बोर्ड द्वारा तैयार औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन दर्शाते हुए एक विवरणी दरिती करेगी।

- (5) उपनियम 4 में विनिर्दिष्ट जानकारी और ब्यौरे के साथ-साथ बोर्ड की रिपोर्ट में निम्नलिखित जानकारी भी अंतर्विष्ट होगी,-
- (i) वित्तीय सारांश या मुख्य बिन्दु;
- (ii) व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन, यदि कोई हो;
- (i) निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के ब्यौरे जिन्होंने वर्ष के दौरान नियुक्त या पद त्याग किया हो;
- (ii) कंपनियों के नाम जो वर्ष के दौरान कंपनी के अनुषंगी, संयुक्त उपक्रम या सहयोगी कंपनी बनने वाली या अनुषंगी, संयुक्त उपक्रम या सहयोगी कंपनी नहीं रही;
- (iii) अधिनियम के अध्याय-5 के अधीन आने वाले निक्षेपों से संबंधित ब्यौरे,-
- (क) वर्ष के दौरान स्वीकार किए गए;
- (ख) वर्ष के अंत में, संदत्त या अदावाकृत शेष;
- (ग) क्या वर्ष के दौरान निक्षेपों की पुनः संदाय या उस पर ब्याज के संदाय में कोई व्यतिक्रम हुआ है, और यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या और उसकी कुल रकम -
- (i) वर्ष के प्रारंभ में;
- (ii) वर्ष के दौरान अधिकतम;
- (iii) वर्ष के अंत में;
- (iv) निक्षेपों के ब्यौरे जो अधिनियम के अध्याय-5 की अपेक्षाओं के अनुपालन में नहीं हैं;
- (v) कंपनी की वर्तमान स्थिति और भावी प्रचालनों पर प्रभाव डालने वाले विनियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेशों के ब्यौरे;
- (vi) वित्तीय विवरणों के संदर्भ के साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में ब्यौरे।
9. **कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति के संबंध में प्रकटीकरण** - बोर्ड की रिपोर्ट में और कंपनी वेबसाइट, यदि कोई हो, पर कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 में संलग्न उपाबंध के अनुसार होंगे।
10. **वित्तीय विवरणी की प्रमुख विशेषताओं वाला विवरणी** - धारा 136 की उपधारा (1) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट दस्तावेजों की विशेषताओं की अंतर्विष्ट का विवरणी प्ररूप एओसी-3 में होगा।
11. **कतिपय दशाओं में वित्तीय विवरणी के परिचालन की रीति** - सभी सूचीबद्ध कंपनियों और ऐसी सभी पब्लिक कंपनियों की दशा में, जिनका शुद्ध मूल्य एक करोड़ रुपए से अधिक और व्यापारावर्त दस करोड़ रुपए से अधिक है, में वित्तीय विवरणी निम्न रीति से -
- (क) ऐसे सदस्यों को जिनकी शेयरधारिता अभौतिक रूप विधान में हो और जिनका ई-मेल पहचान संसूचना के प्रयोजन के लिए निक्षेपागार के पास रजिस्ट्रीकृत हो को इलेक्ट्रॉनिक रीति द्वारा;
- (ख) जहां शेयरधारिता अन्यथा अभौतिक रूप विधान में हो, वहां ऐसे सदस्यों को, जिन्होंने निश्चित रूप में इलेक्ट्रॉनिक रीति से प्राप्त करने के लिए लिखित में सहमति दी हो; और
- (ग) अन्य सभी दशाओं में अधिनियम की धारा 20 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रदाय के किसी मान्यता प्राप्त रीति द्वारा भौतिक प्रतियों का प्रेषण द्वारा भेजी जाएगी।
12. **वित्तीय विवरणी फाइल करना और उसके लिए संदेय फीस** -
- (1) प्रत्येक कंपनी प्ररूप एओसी-4 के साथ वित्तीय विवरणी रजिस्ट्रार को फाइल करेगी।

- (2) केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कंपनियों के वर्ग, अपने वित्तीय विवरण अनिवार्य रूप से विस्तारयोग्य व्यवसाय रिपोर्टिंग भाषा (एक्सबीआरएल) में फाइल करेगी और केंद्रीय सरकार ऐसी अधिसूचना के अधीन कंपनियों के ऐसे वर्ग के लिए ऐसी फाइल करने की रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

**स्पष्टीकरण-** इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, “विस्तारयोग्य व्यवसाय रिपोर्टिंग भाषा” पद से इस नियम के अधीन कंपनियों द्वारा वित्तीय जानकारी व्यक्त, रिपोर्ट या फाइल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रीति में संसूचना के लिए मानकीकृत भाषा अभिप्रेत है।

- (3) धारा 137 की उपधारा (1) और उक्त उपधारा के दूसरे परंतुक और उक्त धारा की उपधारा (2) में निर्दिष्ट फीस या अतिरिक्त फीस कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में यथा विनिर्दिष्ट होगी।

13. **आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त करने के लिए अपेक्षित कंपनियां** – (1) कंपनियों के निम्नलिखित वर्ग के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक या आंतरिक लेखापरीक्षकों के एक फर्म की नियुक्ति अपेक्षित होगी, अर्थात्:-

- (क) प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी;
- (ख) प्रत्येक असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी जिसकी –
- पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान समादात शेयर पूंजी पचास करोड़ रुपए या उससे अधिक हो; या
  - पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान व्यापारावर्त दौ सौ करोड़ रुपए या उससे अधिक हो; या
  - पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय, बैंकों, पब्लिक वित्तीय संस्था का एक सौ करोड़ रुपए से अधिक बकाया और उधार लेना हो; और
  - पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय बकाया निक्षेप पच्चीस करोड़ रुपए या उससे अधिक हो; और
- (ग) प्रत्येक प्राइवेट कंपनी जिसकी-
- पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान व्यापारावर्त दौ सौ करोड़ रुपए या उससे अधिक हो; या
  - पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय बैंकों या पब्लिक वित्तीय संस्था से बकाया ऋण या उधारियां एक सौ करोड़ रुपए या उससे अधिक हो;

परंतु उपरोक्त मानदंडों में से किसी एक के भी अधीन आने वाली कोई विद्यमान कंपनी धारा 138 और इस नियम की अपेक्षाओं का अनुपालन उक्त धारा के प्रारंभ से छः मास के भीतर करेगी।

**स्पष्टीकरण** – इस नियम के प्रयोजन के लिए –

- आंतरिक लेखापरीक्षक कंपनी का कर्मचारी भी हो सकेगा और नहीं भी;
  - “चार्टर्ड अकाउंटेंट” पद से, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिप्रेत है, चाहे वह व्यवसायरत हो या नहीं।
- (2) कंपनी की लेखापरीक्षा समिति या बोर्ड, आंतरिक लेखापरीक्षक के परामर्श से, आंतरिक लेखापरीक्षा संचालन करने के लिए उसकी का परिधि, कृत, अवधि तथा पद्धति तैयार करेगी।

**उपाबंध**

### प्ररूप एओसी-I

[नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप-धारा (3) के परंतुक के अनुसरण में]

### अनुषंगी कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उपक्रमों के वित्तीय विवरण की प्रमुख विशेषताओं का विवरण

#### भाग “क” : अनुषंगी कंपनियां

(प्रत्येक अनुषंगी के संबंध में जानकारी ..... रुपए में राशि के साथ प्रस्तुत की जाए)

- क्रम संख्या
- अनुषंगी कंपनी का नाम
- अनुषंगी कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से अलग हो तो
- विदेशी अनुषंगी कंपनी के मामले में संगत वित्त वर्ष की अंतिम तिथि को रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर
- शेयर पूंजी
- रिजर्व और अधिशेष
- कुल परिसंपत्तियां

8. कुल देयताएं
9. निवेश
10. व्यापारावर्त
11. कराधान पूर्ण लाभ
12. कराधान हेतु प्रावधान
13. कराधान उपरांत लाभ
14. प्रस्तावित लाभांश
15. शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत

**नोट:** विवरण के अंत में निम्नलिखित जानकारियां दी जाएं:

1. ऐसी अनुषंगी कंपनियों के नाम जिन्होंने अभी व्यवसाय प्रारंभ नहीं किया है।
2. ऐसी अनुषंगी कंपनियों के नाम जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त कर दिया गया या बेच दिया गया।

**भाग "ख": सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उपक्रम**

**सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसरण में विवरण**

सहयोगी कंपनी/संयुक्त उपक्रम का नाम	नाम 1	नाम 2	नाम 3
1. अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की तारीख			
2. वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी/संयुक्त उपक्रम कंपनी के शेयर संख्या			
सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उपक्रमों में निवेश की राशि			
3. महत्वपूर्ण प्रभाव का वर्णन			
4. सहयोगी कंपनी/संयुक्त उपक्रम के समाहित नहीं होने का कारण			
5. अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार शेयरधारिता का आरोप्य निवल मूल्य			
6. वर्ष के लिए लाभ/हानि			
i. समेकित रूप से विचार किया हुआ			
ii. समेकित रूप से विचार नहीं किया हुआ			

1. ऐसी संयुक्त उपक्रम कंपनियों के नाम जिन्होंने अभी व्यवसाय प्रारंभ नहीं किया है।
2. ऐसी सहयोगी और संयुक्त उपक्रम कंपनियों के नाम जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त कर दिया गया या बेच दिया गया।

**नोट:** इस प्ररूप को उसी प्रकार प्रमाणित किया जाए जिस प्रकार तुलन-पत्र को प्रमाणित किया जाना है।

प्ररूप संख्या एओसी-2  
(नियम 8(2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/करारों, उक्त उपधारा के तृतीय परंतुक के अधीन कुछ दूरी बनाए रखते हुए किए गए कतिपय सौदों सहित के ब्यौरों के प्रकटीकरण का प्ररूप [धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (ज) के अनुसरण में]

1. कुछ दूरी नहीं बनाए रखते हुए की गई संविदाओं या करारों या सौदों के ब्यौरे
  - (क) संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति
  - (ख) संविदा/व्यवस्था/सौदा की प्रकृति
  - (ग) संविदा/व्यवस्था/सौदा की अवधि
  - (घ) संविदा या व्यवस्था या सौदा की प्रमुख शर्तें, मूल्य सहित, यदि कोई हो
  - (ङ) ऐसी संविदा/संविदा या व्यवस्था या सौदा करने का औचित्य
  - (च) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख
  - (छ) अग्रिम के रूप में अदा की गई राशि, यदि कोई हो
  - (ज) धारा 188 के प्रथम परंतुक के अधीन यथा अपेक्षित आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव की तारीख
2. कुछ दूरी बनाए रखते हुए की गई संविदाओं या करारों या सौदों के ब्यौरे
  - (क) संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति
  - (ख) संविदा/व्यवस्था/सौदा की प्रकृति
  - (ग) संविदा/व्यवस्था/सौदा की अवधि
  - (घ) संविदा या व्यवस्था या सौदा की प्रमुख शर्तें, मूल्य सहित, यदि कोई हो
  - (ङ) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख
  - (च) अग्रिम के रूप में अदा की गई राशि, यदि कोई हो

इस प्ररूप पर उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा जिसने बोर्ड की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किया है।

**प्ररूप एओसी-3**

(नियम 10 के अनुसारण में)

**अधिनियम की धारा 136 की उप-धारा के प्रथम परंतुक के अनुसार तुलन-पत्र और लाभ-हानि खाता की प्रमुख विशेषताओं का विवरण संक्षिप्त वित्तीय विवरणों का प्ररूप**

कंपनी का नाम.....

.....का संक्षिप्त तुलन-पत्र

(.....रूप में)

क्र.सं. ब्यौरे

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में (दिन/माह/वर्ष) पिछले रिपोर्टिंग अवधि के अंत में (दिन/माह/वर्ष)

**I इक्विटी और देयताएं**

- (1) शेयरधारकों की निधि
- (क) प्रदत्त शेयर पूंजी
- (i) इक्विटी
- (ii) अधिमान
- (ख) रिजर्व और अधिशेष
- (i) पूंजी रिजर्व (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व सहित, यदि कोई हो)
- (ii) राजस्व रिजर्व
- (iii) अधिशेष
- (ग) शेयर गारंटियों के विरुद्ध
- (2) आबंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि
- (3) गैर-वर्तमान देयताएं
- (क) लंबी अवधि की उधारियों
- (ख) आस्थगित कर देयताएं (निवल)
- (ग) अन्य लंबी अवधि की देयताएं
- (घ) लंबी अवधि के प्रावधान
- (4) वर्तमान देयताएं
- (क) लघु अवधि उधारियों
- (ख) व्यापार अदायगियां
- (ग) अन्य वर्तमान देयताएं
- (घ) लघु अवधि के प्रावधान



(1) से (4) का योग

**II. आस्तियां**

(5) गैर-वर्तमान आस्तियांम

(क) नियत आस्तियां

- (i) मूर्त आस्तियां (अवमूल्यन कम करके मूल लागत)
- (ii) अमूर्त आस्तियां (अवमूल्यन/बंधक कम करके मूल लागत)
- (iii) कार्यशाली पूंजी
- (iv) विकास के अधीन अमूर्त आस्तियां

(ख) गैर-वर्तमान निवेश

(ग) आस्थगित कर आस्तियां (निवल)

(घ) लंबी अवधि के ऋण और अग्रिम

(ङ) अन्य गैर-वर्तमान आस्तियां

**(6) वर्तमान आस्तियां**

- (क) वर्तमान निवेश
- (ख) माल सूची
- (ग) व्यापार प्राप्त्य
- (घ) नकद और नकद समतुल्य
- (ङ) लघु अवधि के ऋण और अग्रिम
- (च) अन्य वर्तमान आस्तियां

(5) और (6) का योग

नोट: अधिनियम की अनुसूची-III की अपेक्षानुसार तैयार तुलन-पत्र, लाभ-हानि खाता, अन्य विवरण और उसके नोट कंपनी की वेबसाइट ..... पर उपलब्ध है।

..... को समाप्त वर, का संक्षिप्त लाभ-हानि खाता

(.....रूप में)

क्र.सं.	व्यौरे	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि हेतु आंकड़े (दिन/माह/वर्ष)	पिछली रिपोर्टिंग अवधि हेतु आंकड़े (दिन/माह/वर्ष)
I	आय		
	प्रचालनों से राजस्व (*के अनुसार विवरण दिया ग जाए)		
II	अन्य आय		
III	कुल आय (I+II)		
IV	व्यय		
(क)	उपयोग हेतु सामग्री की लागत		
(ख)	व्यापार स्टॉक की खरीद		
(ग)	तैयार माल, कार्यशील माल और व्यापाराधीन माल की माल सूची में परिवर्तन		
(घ)	कर्मचारी हित व्यय		
(ङ)	वित्त लागत		
(च)	अवमूल्यन और ऋण परिशोधन		
(छ)	अन्य व्यय		
	कुल व्यय (क से छ)		
V	आपवादिक और असाधारण मदों और कर के पहले आय (III-IV)		
VI	आपवादिक मदें		
VII	असाधारण मदों और कर के पूर्व लाभ (V-VI)		
VIII	असाधारण मदें		
IX	कर पूर्व लाभ/हानि (VII-VIII)		
X	1. कर व्यय 2. आस्थगित कर		
XI	इस अवधि हेतु चालू प्रचालनों करोपरांत लाभ/(हानि) (IX-X)		
XII	बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि)		
XIII	बंद प्रचालनों के कर व्यय		
XIV	पंद प्रचालनों से लाभ/(हानि) (करोपरांत) (XII-XIII)		
XV	वर्ष हेतु लाभ/(हानि) (XI+XIV)		
XVI	प्रति इक्विटी शेयर आय (क) मूल (ख) मिश्रित		

\*प्रचालनों से राजस्व के व्यौरे

क) वित्त कंपनी के अलावा किसी कंपनी के संबंध में प्रचालनों से राजस्व निम्नवत् प्रकट किया जाएगा:

क्र.सं.	व्यौरे	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि हेतु आंकड़े (दिन/माह/वर्ष)	पिछली रिपोर्टिंग अवधि हेतु आंकड़े (दिन/माह/वर्ष)
I	विनिर्मित उत्पाद की बिक्री		
II	व्यापार किए गए माल की बिक्री		
III	उपलब्ध कराई गई सेवाओं से राजस्व		
IV	अन्य प्रचालन राजस्व		

ख) वित्त कंपनी के संबंध में प्रचालन से राजस्व निम्नवत् प्रकट किया जाएगा:

(क) ब्याज से राजस्व; और

(ख) अन्य वित्तीय सेवाओं से राजस्व

संक्षिप्त तुलन-पत्र और संक्षिप्त लाभ-हानि खाता नोट

- यहां दर्शाई गई राशि अनुसूची-III के अनुसार वित्तीय विवरणों में संगत समेकित शीर्ष में दर्शाई गई अनुसार या उसके यथा संभव निकट होगी।
- आकस्मिक देयताओं की कुल राशि और अन्य वचनबद्धताओं की कुल राशि अलग-अलग दर्शाई जाएं।
- अनुसूची- III के अनुसार वित्तीय विवरणों का भाग बनने ध्यान आकृष्ट किया गया है या जो लेखापरीक्षक के प्रमाणन की विषय-वस्तु है, को प्रस्तुत किया जाए।
- यदि नियत आस्तियों का पुनः मूल्यांकन किया गया है तो, पुनः मूल्यांकन की तारीख के पश्चातवर्ती प्रथम पांच वर्षों के लिए पुनः मूल्यांकन की राशि अलग-अलग दर्शाई जाएगी।
- कुल आय या व्यय के 20% या उससे अधिक का कोई मद (प्रावधानों सहित) अलग से दर्शाया जाए।
- किसी परिवर्तन का कारण होता है, उसे लेखांकन नीति में किसी परिवर्तन के कारण लाभ-हानि खाते में दर्शाएं गए किसी मद को प्रभावित करने वाली राशि, यदि वास्तविक है, अलग से प्रकट की जाए।
- नोट में निम्नलिखित के संबंध में पूर्ण वित्तीय विवरणों में शामिल नोट, यदि कोई हो, किया जाएगा
  - ऋणों और ब्याज की पुनः अदायगी में तुलन-पत्र की तारीख को चूक की अवधि और राशि।
  - रिपोर्टिंग अवधि में समामेलन अधिग्रहण, पुनर्गठन और विघटन।
  - चालू संस्थान मान्यता को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं।
  - कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अधीन किए गए या आदेश दिए गए अन्वेषण और जांच।
  - रिपोर्टिंग अवधि में किसी कानून का उल्लंघन।
  - प्रबंधन द्वारा महत्वपूर्ण समझा गया कोई अन्य नोट।
- उद्धृत निवेशों (वर्तमान वर्ष और पिछले वर्ष दोनों के लिए) का बहि मूल्य और बाजार मूल्य उल्लिखित किया जाए।
- संक्षिप्त तुलन-पत्र में नोट की संख्या के समान संख्या दी जाए।
- संबंधित पक्ष सौदों का प्रकटीकरण लेखांकन मानकों की अपेक्षाओं के अनुसार किया जाए।
- नकद और नकद समतुल्य के व्यौरों का प्रकटीकरण निम्नवत् किया जाएगा:

- (क) बैंकों में शेष;
- (ख) अपने पास चैक, ड्राफ्ट;
- (ग) अपने पास नकद;
- (घ) अन्य प्रकृति विशिष्ट करें

12. लेखांकन मानक (एएस)3 के अनुसार, जहां नकद प्रवाह विवरण और अधिसूचित, वहां उसमें निम्नलिखित संक्षिप्त नकद प्रवाह विवरण शामिल किए जाएंगे:

**संक्षिप्त नकद प्रवाह विवरण**

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि हेतु आंकड़े      पिछले रिपोर्टिंग अवधि के लिए आंकड़े

1. प्रचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाह
  2. निवेश कार्यकलापों से नकद प्रवाह
  3. वित्तीय कार्यकलापों से नकद प्रवाह
  4. नकद और नकद समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)
  5. अवधि के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य
  6. अवधि के अंत में नकद और नकद समतुल्य
13. व्यवसाय क्षेत्र या भौगोलिक क्षेत्र, जो भी उद्यम का क्षेत्र रिपोर्टिंग का प्राथमिक आधार हो, के लिए क्षेत्र राजस्व, क्षेत्र नियोजित पूंजी (क्षेत्र आस्तियों में से क्षेत्र देयताएं कम करने पर प्राप्त) और क्षेत्र परिणाम (क्षेत्र जानकारी का प्रकटीकरण प्रस्तुत किया जाएगा) कंपनी द्वारा तभी प्रकट किया जाएगा जब वह लेखांकन मानकों के अनुसार हों।
14. पूर्ण करने का स्तर मुख्य तुलन-पत्र और लाभ-हानि खाते के समान होना चाहिए।
15. जहां कंपनियों पर यथा लागू लेखांकन मानकों सहित अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुपालन हेतु व्यवहार या प्रकटीकरण में परिवर्तन अपेक्षित है, शीर्ष/उप-शीर्ष में संयोजन, संशोधन, प्रतिस्थापन या विलोपन या वित्तीय विवरणों या उसके किसी भाग वाले किसी विवरण में किसी भाग में कोई परिवर्तन अपेक्षित होगा, तो वह किया जाएगा।  
तुलन-पत्र और लाभ-हानि खाते के ऊपर कथित प्रमुख विशेषताएं उसी प्रकार से अधिप्रमाणित किया जाए जिस प्रकार मुख्य वित्तीय विवरण को किया जाता है।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

**लेखापरीक्षक की रिपोर्ट लेखापरीक्षा द्वारा मानकों के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जमा किया जाएगा। पूर्ण वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट भी दी जाए।**

निदेशक की रिपोर्ट

निदेशक की रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं प्रकट की जाए।

## समेकित वित्तीय विवरण

1. जहां किसी कंपनी के लिए समेकित वित्तीय विवरण अर्थात् समेकित तुलन-पत्र और समेकित लाभ-हानि विवरण, तुलन-पत्र और लाभ-हानि विवरण तैयार करने में कंपनी पर यथा लागू अधिनियम की अनुसूची- III की अपेक्षाओं का यथोचित परिवर्तनों सहित, कंपनी द्वारा पालन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, समेकित वित्तीय विवरण कथित अनुसूची में शामिल “समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने हेतु सामान्य आदेश” शीर्षक के अधीन क्रम संख्या (1) और (2) पर विनिर्दिष्ट मदों सहित लागू लेखांकन मानकों में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार जानकारी भी प्रकट करेगा।

नोट: इसे उसी प्रकार प्रमाणित किया जाए जिस प्रकार तुलन-पत्र को प्रमाणित किया जाता है।

<p>प्ररूप ए ओ सी -4</p> <p>[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 137 और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 12(1) को देखें]</p>	<p>रजिस्ट्रार को वित्तीय विवरण और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप</p>
--	---

**टिप्पण -**

-सभी \* चिन्हित खानों को भरा जाना आवश्यक है।

-ई-प्ररूप में प्रस्तुत आंकड़े केवल पूर्ण रूप में प्रविष्ट किए जाने चाहिए। आंकड़े को सौ, हजार, लाख, मिलियन या करोड़ जैसी सूची अन्य यूनिट में पूर्णांकित नहीं किया जाना चाहिए।

प्रस्तुत करने की तारीख की स्थिति के अनुसार कंपनी की प्राधिकृत पूंजी \_\_\_\_\_

प्रस्तुत करने की तारीख की स्थिति के अनुसार कंपनी के सदस्यों की संख्या \_\_\_\_\_

**खंड-1 तुलन पत्र के बाबत सूचना एवं विवरणियां****भाग क****I. कंपनी की सामान्य सूचना**

1. (क) कंपनी का कॉर्पोरेट पहचान संख्या \_\_\_\_\_ (पूर्व-पूरित)

(ख) कंपनी का वैश्विक अवस्थान संख्या (जी एल एन) \_\_\_\_\_

2. कंपनी का नाम \_\_\_\_\_

3. (क) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता \_\_\_\_\_

(ख) \*कंपनी का ई-मेल आई डी \_\_\_\_\_

4(क) \*वित्तीय वर्ष जिससे तुलन पत्र संबंधित है \_\_\_\_\_ (तारीख/महीना/वर्ष) से \_\_\_\_\_ (तारीख/महीना/वर्ष) तक

(ख) \* निदेशक मंडल के उस बैठक की तारीख जिसमें तुलन पत्र स्वीकृत किया गया था \_\_\_\_\_ (तारीख/महीना/वर्ष)

(ग) कंपनी के निदेशक (कों), प्रबंध निदेशक, प्रबंधक, सचिव के ब्यौरे जिन्होंने तुलन पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। यदि तुलन पत्र की तारीख 1 जुलाई, 2007 को या उसके बाद है तो निम्नलिखित आंकड़े की प्रविष्टि की जानी होती है। निदेशक, प्रबंध निदेशक की दशा में, निदेशक पहचान संख्या (डिन) तथा प्रबंधक, सचिव की दशा में आय-कर का स्थायी लेखा संख्या (आय-कर (पैन) प्रदान करें

डी आई एन या आयकर पैन _____ (पूर्व-पूरित) पदनाम _____
नाम _____
तुलन पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख _____ (तारीख/महीना/वर्ष)

[प्रत्येक व्यक्ति के लिए सूचना दी जाए]

5. (क) \* निदेशक-बोर्ड की बैठक की तारीख\* जिसमें धारा 134 के अधीन विनिर्दिष्ट बोर्ड का प्रतिवेदन अनुमोदित किया गया था \_\_\_\_\_ (तारीख/महीना/वर्ष)

(ख) बोर्ड के प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले निदेशक (कों), प्रबंध निदेशक का विवरण

निम्नलिखित केवल तभी भरे जाएं यदि निदेशक-बोर्ड की बैठक 1 जुलाई, 2007 को या उससे बाद हुई हो

डी आई एन _____ (पूर्व-पूरित)	पदनाम _____
नाम _____	
बोर्ड के प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख _____	(तारीख/महीना/वर्ष)

[प्रत्येक व्यक्ति के लिए सूचना दी जाए]

6. \* लेखापरीक्षकों द्वारा तुलन पत्र संबंधी प्रतिवेदनों पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख \_\_\_\_\_ (तारीख/महीना/वर्ष)

7. (क) \* क्या वार्षिक साधारण अधिवेशन आयोजित किया गया \_\_\_\_\_ हां \_\_\_\_\_ नहीं

(ख) यदि हां, वार्षिक साधारण अधिवेशन की तारीख \_\_\_\_\_ (तारीख/महीना/वर्ष)

(ग) \*वार्षिक साधारण अधिवेशन की निर्धारित तारीख \_\_\_\_\_ (तारीख/महीना/वर्ष)

(घ) वार्षिक साधारण अधिवेशन की तारीख जिसमें शेयर धारकों द्वारा लेखा अंगीकृत किए गए हैं \_\_\_\_\_ (तारीख/महीना/वर्ष)

(ड.) \*क्या वित्तीय वर्ष या वार्षिक साधारण अधिवेशन के लिए विस्तार प्रदान किया गया \_\_\_\_\_ हां \_\_\_\_\_ नहीं

(च) यदि हां, तो विस्तार प्रदान करने के बाद वार्षिक साधारण अधिवेशन की निर्धारित तारीख \_\_\_\_\_ (तारीख/महीना/वर्ष)

8. (क) \*क्या कंपनी धारा 2(87) के अंतर्गत यथा परिभाषित समनुषंगी कंपनी है \_\_\_\_\_ हां \_\_\_\_\_ नहीं

(ख) नियंत्री कंपनी का सी आई एन, यदि लागू हो \_\_\_\_\_ (पूर्व-पूरित)

(ग) नियंत्री कंपनी का नाम \_\_\_\_\_

(घ) उपबंध जिसके अनुसरण में कंपनी एक समनुषंगी कंपनी बन गई है \_\_\_\_\_

9.(क) \* क्या कंपनी की धारा 2(87) के अंतर्गत यथा परिभाषित कोई समनुषंगी कंपनी है \_\_\_हां\_\_\_ नहीं

(ख) यदि हां, समनुषंगी कंपनी की संख्या का उल्लेख करें \_\_\_\_\_

समनुषंगी कंपनी का सी आई एन \_\_\_\_\_

समनुषंगी कंपनी का नाम \_\_\_\_\_

धारा, जिसके अंतर्गत कंपनी समनुषंगी हो गई है \_\_\_\_\_

(सभी पूर्व-पूरित)

10. \*लेखा परीक्षकों की संख्या \_\_\_\_\_

(I) (क) लेखापरीक्षक की श्रेणी \_\_\_\_\_ व्यक्तिगत \_\_\_\_\_ लेखापरीक्षक की फर्म

(ख) \*लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षक की फर्म का आय-कर पैन \_\_\_\_\_

(ग)\* लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षक की फर्म का नाम \_\_\_\_\_

(घ) \* लेखापरीक्षक की सदस्यता संख्या या लेखापरीक्षक की फर्म की पंजीकरण संख्या \_\_\_\_\_

(ङ.) लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षक की फर्म का पता

पंक्ति I \_\_\_\_\_

पंक्ति II \_\_\_\_\_

\* शहर \_\_\_\_\_ \* राज्य \_\_\_\_\_

देश \_\_\_\_\_ \*पिन कोड \_\_\_\_\_

(च) उपर्युक्त फर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे सदस्य का विवरण

नाम \_\_\_\_\_

सदस्य संख्या \_\_\_\_\_

(छ) \* लेखापरीक्षक की नियुक्ति से संबंधित प्ररूप का एस आर एन \_\_\_\_\_

[प्रत्येक व्यक्ति के लिए सूचना दी जाए]

11. (क) सरकारी कंपनी की दशा में, क्या भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लेखा प्रदिवेदन पर टिप्पणियां की हैं या इसे अनुपूरित किया है

\_\_\_\_\_ हां \_\_\_\_\_ नहीं

(ख) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से प्राप्त टिप्पणियों या अनुपूरकों का विवरण दिया जाए

--

(ग) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से प्राप्त टिप्पणियों पर निदेशक का उत्तर

--

(ग) क्या भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने धारा 143 के अंतर्गत अनुपूरक या जांच लेखापरीक्षा की है \_हां \_ नहीं

12. (क) \*क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III लागू है \_\_\_\_ हां \_\_\_\_ नहीं

(ख)\*उद्योग का प्रकार \_\_\_\_\_

टिप्पण : उद्योग का प्रकार, यदि बैंककारी या विद्युत (पाँवर) या बीमा या गैर-बैंककारी वित्तीय कारपोरेशन से भिन्न है तो वाणिज्यिक और औद्योगिक (सी एंड आई)का चयन करें

भाग-ख I. तुलन-पत्र (1.4.2011 को या उसके बाद प्रारंभ हो रहे वित्तीय वर्ष के लिए लागू कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार)

	विशिष्टियां	(चालू संदर्भाधीन अवधि) के अंत में आंकड़ों के अनुसार (तारीख/माह/वर्ष)	(पिछली संदर्भाधीन अवधि) के अंत में आंकड़ों के अनुसार (रुपये में) _____ (दिनांक/माह/वर्ष)
<b>I.</b>	<b>इक्विटी और दायित्व</b>		
	<b>शेयर धारकों की निधि</b>		
	(क) शेयर पूंजी		
	(ख) आरक्षित और अधिशेष		
	(ग) शेयर वारंटों के प्रति प्राप्त की गई धनराशि		
<b>(2)</b>	<b>आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन धन राशि</b>		
<b>(3)</b>	<b>गैर-चालू दायित्व</b>		
	(क) दीर्घकालिक उधार		
	(ख) आस्थगित कर दायित्व (निवल)		
	(ग) अन्य दीर्घकालीन उधार		
	(घ) दीर्घकालिक उपबंध		
<b>(4)</b>	<b>चालू दायित्व</b>		
	(क) लघुकालिक उधार		
	(ख) व्यापार संदेय		
	(ग) अन्य चालू दायित्व		
	(घ) लघुकालिक उपबंध		
	कुल		
<b>II.</b>	<b>आस्तियां</b>		
<b>(1)</b>	<b>गैर-चालू आस्तियां</b>		
	(क) स्थावर आस्तियां		
	(i) मूर्त आस्तियां		
	(ii) अमूर्त आस्तियां		
	(iii) चालू पूंजीगत कार्य		
	(iv) विकास के अंतर्गत अमूर्त आस्तियां		
	(ख) गैर-चालू निवेश		
	(ग) आस्थगित आस्तियां (निवल)		
	(घ) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम		
	(ड.) अन्य गैर-चालू आस्तियां		



(2)	<b>चालू आस्तियां</b>		
	(क) चालू निवेश		
	(ख)तालिका		
	(ग) व्यापार प्राप्तव्य		
	(घ) नकद और नकद समतुल्य		
	(ड.) लघुकालिक ऋण और अग्रिम		
	(च) अन्य चालू आस्तियां		
	कुल		

भाग I. तुलन पत्र (01.04.2011 के पूर्व प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागू

विशिष्टियां	चालू वित्तीय वर्ष के अंत में आंकड़े (रुपये में)	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए आंकड़े (रुपये में)
निधियों का स्रोत		
समादत्त पूंजी		
शेयर आवेदन धन (आबंटन के लिए लंबित)		
आरक्षित और अधिदेश		
प्रतिभूत ऋण		
अप्रतिभूत ऋण		
आस्थगित कर दायित्व		
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		
कुल		
निधियों का उपायोजन		
सकल स्थिर आस्तियां (आमूर्त आस्तियां सहित)		
कमी: अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण		
निवल स्थिर आस्तियां		
पूंजीगत कार्य-चालू		
निवेश		
आस्थगित कर आस्तियां (निवल)		
चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम		
(क) तालिका		
(ख)अन्यान्य श्रेणी		
(ग) नकद और बैंक अतिशेष		
(घ) अन्य चालू आस्तियां		
(ड.) ऋण और अग्रिम		
कमी: चालू दायित्व और उपबंध		
(क) दायित्व		
(ख) उपबंध		
निवल चालू आस्तियां		
बट्टे खाते में न डाले जाने वाला या समायोजित न किया जाने वाला विविध व्यय		
लाभ और हानि लेखा		
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		
कुल	0.00	0.00

**II.** तुलन पत्र तारीख (01.04.2011 को या उससे बाद प्रारंभ हो रहे वित्तीय वर्ष के मामले में लागू) की स्थिति के अनुसार विस्तृत तुलन पत्र मर्दे (धनराशि रूप में)

**क.** दीर्घकालिक उधार (अप्रतिभूत) का विवरण

विवरण	चालू संदर्भाधीन अवधि	पूर्ववर्ती संदर्भाधीन अवधि
बांड/डिबेंचर		
आवधिक ऋण		
-बैंकों से		
-अन्य पक्षकारों से		
आस्थगित भुगतान दायित्व		
निक्षेप		
संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम		
वित्तीय पट्टा बाध्यता की दीर्घकालिक परिपक्वता		
अन्य ऋण और अग्रिम		
कुल दीर्घकालिक उधार (अप्रतिभूत)		
उपर्युक्त योग में से निदेशकों द्वारा गारंटीकृत कुल धनराशि		

**ख.** लघुकालिक उधार (अप्रतिभूत) का विवरण

विशिष्टियां	चालू संदर्भाधीन अवधि	पूर्ववर्ती संदर्भाधीन अवधि
मांग पर प्रतिसंदेय ऋण		
-बैंकों से		
-अन्य पक्षकारों से		
संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम		
निक्षेप		
अन्य ऋण और अग्रिम		
कुल लघुकालिक उधार (अप्रतिभूत)		
उपर्युक्त योग में से निदेशकों द्वारा गारंटीकृत कुल धनराशि		

**ग.** दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम (अप्रतिभूत, वैध माने गए)

विशिष्टियां	चालू संदर्भाधीन अवधि	पूर्ववर्ती संदर्भाधीन अवधि
पूंजीगत अग्रिम		
प्रतिभूति जमा		
अन्य संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम		
अन्य ऋण और अग्रिम		
कुल दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम		
कमी: डूबंत और शंकास्पद ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान/भत्ते		
-संबंधित पक्षकारों से		
-अन्य से		
निवल दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम (अप्रतिभूत, वैध माने गए)		

कंपनी के निदेशकों/अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण और अग्रिम {संदर्भ अनुसूची III का टिप्पण 6. ठ (iv) }		
---	--	--

## घ. दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम (शंकास्पद) का विवरण

	चालू संदर्भाधीन अवधि	पूर्ववर्ती संदर्भाधीन अवधि
पूँजीगत अग्रिम		
प्रतिभूति निक्षेप		
संबंधित पक्षकारों को ऋण और अग्रिम		
अन्य ऋण और अग्रिम		
कुल दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम		
कम: डूबंत और शंकास्पद ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान/भत्ते		
-संबंधित पक्षकारों से		
-अन्य से		
निवल दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम (शंकास्पद)		
कंपनी के निदेशकों/अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण और अग्रिम {संदर्भ अनुसूची III की टिप्पणी 6. ठ (iv) }		

## ङ. व्यापार प्राप्तव्य का विवरण

विशिष्टियां	चालू संदर्भाधीन अवधि		पूर्ववर्ती संदर्भाधीन अवधि	
	छह माह से अधिक	छह माह के भीतर	छह माह से अधिक	छह माह के भीतर
प्रतिभूत, वैध माने गए				
अप्रतिभूत, वैध माने गए				
शंकास्पद				
कुल व्यापार प्राप्तव्य				
कम: डूबे और शंकास्पद ऋण के लिए प्रावधान/भत्ता				
निवल व्यापार प्राप्तव्य				
कंपनी के निदेशकों/अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण (संदर्भ अनुसूची II वी टिप्पणी 6ड(iii) }				

## III. वित्तीय मानदंड- तुलन पत्र की तारीख (यदि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो) की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र (धनराशि रु. में)

1. \*संदर्भाधीन अवधि के दौरान नकद में संदाय प्राप्त किए बिना जारी संविदाओं की धनराशि \_\_\_\_\_
2. \*प्रदत्त शेयर आवेदन \_\_\_\_\_

3. \*संदर्भाधीन अवधि के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन धन \_\_\_\_\_
4. \*संदर्भाधीन अवधि के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन धन \_\_\_\_\_
5. \*विदेशी कंपनी द्वारा धारित समादत्त पूंजी \_\_\_\_\_ प्रतिशत
6. \*विदेशी नियंत्री और/या अपने समानुषंगियों के माध्यम से धारित समादत्त पूंजी \_\_\_\_\_ प्रतिशत
7. \*संदर्भाधीन अवधि के दौरान वापस खरीदे गए शेयरों की संख्या \_\_\_\_\_
8. \*संदर्भाधीन अवधि के स्वीकृत या नवीकृत निक्षेप \_\_\_\_\_
9. \*संदर्भाधीन अवधि के दौरान परिपक्व एवं दावा किए गए निक्षेप किंतु जिनको संदत्त नहीं किया गया \_\_\_\_\_
10. \*परिपक्व एवं दावा किए गए निक्षेप किंतु संदत्त नहीं किया गया \_\_\_\_\_
11. \*निक्षेप परिपक्व परन्तु दावा नहीं किया गया \_\_\_\_\_
12. \*गैर-दावाकृत परिपक्व डिबेंचर \_\_\_\_\_
13. \*दावाकृत डिबेंचर किंतु संदत्त नहीं किया गया \_\_\_\_\_
14. \*निक्षेप पर प्रोदभूत ब्याज और देय किंतु संदत्त नहीं किया गया \_\_\_\_\_
15. \*असंदत्त लाभांश \_\_\_\_\_
16. \*समानुषंगी कंपनियों में निवेश \_\_\_\_\_
17. \*सरकारी कंपनियों में निवेश \_\_\_\_\_
18. \*पूंजीगत आरक्षिती \_\_\_\_\_
19. \*निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में अंतरण के लिए देय धनराशि \_\_\_\_\_
20. \*अंतर कारपोरेट निक्षेप \_\_\_\_\_
21. \*ए एस-18 (यदि लागू हो) के अनुसार संव्यवहार का कुल मूल्य \_\_\_\_\_
22. \*सरकारी प्राधिकरण (णों) से प्राप्त पूंजीगत सहायकी या अनुदान \_\_\_\_\_
23. \*निदेशकों द्वारा असंदत्त न की गई कॉलें \_\_\_\_\_
24. \*अन्य द्वारा भुगतान न की गई कॉलें \_\_\_\_\_
25. \*समपहृत शेयर (मूल समादत्त धनराशि) \_\_\_\_\_
26. \*पुनः जारी समपहृत शेयर \_\_\_\_\_
27. \*विदेशी संस्थागत अभिकरण से उधार \_\_\_\_\_
28. \*विदेशी कंपनियों से उधार \_\_\_\_\_
29. \*अंतर कॉरपोरेट उधार-प्रतिभूत \_\_\_\_\_
30. \*अंतर कॉरपोरेट उधार-अप्रतिभूत \_\_\_\_\_
31. \*वाणिज्यिक कागज-पत्र \_\_\_\_\_
32. \*संदर्भाधीन अवधि के दौरान इक्विटी शेयरों में अधिपत्रों का संपरिवर्तन \_\_\_\_\_
33. \*संदर्भाधीन अवधि के दौरान अधिमानी शेयरों में अधिपत्रों का संपरिवर्तन \_\_\_\_\_
34. \*संदर्भाधीन अवधि के दौरान डिबेंचरों शेयरों में अधिपत्रों का संपरिवर्तन \_\_\_\_\_
35. \*संदर्भाधीन अवधि के दौरान जारी अधिपत्र (विदेशी करेंसी में) \_\_\_\_\_
36. \*संदर्भाधीन अवधि के दौरान जारी अधिपत्र (रु. में) \_\_\_\_\_
37. \*लघुकालिक उधार के संदाय में हुई चूक और उस पर ब्याज \_\_\_\_\_
38. \*दीर्घकालिक उधार के संदाय में हुई चूक और उस पर ब्याज \_\_\_\_\_
39. \*क्या कोई प्रचालन पट्टा वित्तीय पट्टा या विलोमतः संपरिवर्तित हुआ है \_\_\_ हां \_\_\_ नहीं

इस प्रकार के संपरिवर्तनों का विवरण दें

--

40. कंपनी का निवल मूल्य \_\_\_\_\_
41. संदर्भाधीन अवधि के दौरान उन शेयरधारकों की संख्या जिन्हें निजी स्थानन के अंतर्गत शेयर आबंटित किए गए \_\_\_\_\_
42. \*प्रतिभूत ऋण \_\_\_\_\_
43. \*कुल स्थिर आस्तियां (मूर्त आस्तियां सहित) \_\_\_\_\_
44. \*अपक्षयण और अपाकरण \_\_\_\_\_
45. \*बट्टे खाते में समायोजित नहीं किया गया विविध व्यय \_\_\_\_\_

**IV. संदर्भाधीन अवधि के दौरान उगाही गई शेयर पूंजी (धनराशि रु. में)**

	इक्विटी शेयर	अधिमानी शेयर	कुल
(a) पब्लिक इश्यू			
(ख) बोनस इश्यू			
(ग) राईट्स इश्यू			
(घ) डिबेंचरों/अधिमानी शेयरों के संपरिवर्तन से उत्पन्न निजी स्थानन			
(ङ.) अन्य अधिमानी आबंटन			
(च) डिबेंचरों/अधिमानी शेयरों के संपरिवर्तन से उत्पन्न अधिमानी आबंटन			
(छ) अन्य अधिमानी आबंटन			
(ज) कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ई एस ओ पी)			
(झ) अन्य			
(ञ) संदर्भाधीन अवधि के दौरान दी गई शेयर पूंजी की कुल धन राशि			

**V. लेखापरीक्षकों की स्वीकृत (तियों) आपत्ति (यों) या प्रतिकूल अभ्युक्ति (तियों) का विवरण**

1. \* क्या लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में स्वीकृति या उसमें कोई आपत्ति या प्रतिकूल टिप्पणियां निहित हैं \_\_\_\_ हां \_\_\_\_ नहीं

2. (क) लेखापरीक्षक रिपोर्ट में लेखापरीक्षक की स्वीकृति (यां), आपत्ति (यां) या प्रतिकूल अभियुक्ति (तियां)

--

(ख) बोर्ड-रिपोर्ट के अनुसार लेखापरीक्षक की स्वीकृति (यों), आपत्ति (यों) या प्रतिकूल अभियुक्ति (तियों) पर निदेशक की टिप्पणियां

--

**VI.** कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के संबंध में विवरण

- क्या कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 लागू है \_\_\_\_\_ हां \_\_\_ नहीं
- कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मदों पर लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

विशिष्टियां	रिपोर्ट पर लेखापरीक्षक की टिप्पणियां
स्थिर आस्तियां	
तालिका	
कंपनी द्वारा प्रदान या लिया गया ऋण	
संबंधित पक्षकार संन्यवहार/धारा 188	
सार्वजनिक निक्षेप की स्वीकृति	
लेखा अभिलेखों का अनुरक्षण	
सांविधिक देयता	
उधार की गई निधियों का निर्धारित उपयोग	
विशेष सांविधि-चिट फंड कंपनियां	
निधि/पारस्परिक लाभ निधि-विशेष पहलू	
वित्त-पोषण कंपनियां-विशेष पहलू	
आवधिक ऋण	
अधिमानी आबंटन	
निधियों के निर्धारित उपयोग का प्रकटीकरण	
अन्य	

**VII.** लागत अभिलेखों और लागत लेखापरीक्षक से संबंधित विवरण

- \*क्या कंपनी द्वारा लागत अभिलेखों का अनुरक्षण, लागत लेखा अभिलेख नियम के अंतर्गत अधिदेशित है \_\_\_\_\_ हां \_\_\_ नहीं
- \*क्या कंपनी के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिदेशित है \_\_\_\_\_ हां \_\_\_ नहीं

## 3. यदि हां, लागत लेखापरीक्षा के अंतर्गत क्रियाकलाप समूहों के उत्पादों का नाम

--

## भाग II - लाभ और हानि लेखा के संबंध में सूचना और विवरण

## भाग- क

I. लाभ और हानि का विवरण (1.4.2011 को या उसके बाद प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागू कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार)

		अवधि से संबंधित आंकड़े (चालू संदर्भाधीन अवधि) से _____ (तारीख/माह/वर्ष) तक _____ (तारीख/माह/वर्ष)	अवधि से संबंधित आंकड़े (पूर्ववर्ती संदर्भाधीन अवधि) से _____ (तारीख/माह/वर्ष) से तक _____ (तारीख/माह/वर्ष)
(I)	प्रचालन से राजस्व		
	घरेलू आवर्त		
	(i) विनिर्मित उत्पादों की बिक्री		
	(ii) व्यापार होने वाले उत्पादों की बिक्री		
	(iii) सेवाओं की बिक्री और आपूर्ति		
	निर्यात कारोबार		
	(i) निर्मित वस्तुओं की बिक्री		
	(ii) व्यापार किए गए वस्तुओं की बिक्री		
	(iii) सेवाओं की बिक्री या आपूर्ति		
(II)	अन्य आय		
(III)	कुल राजस्व (I+II)	0.00	0.00
(IV)	व्यय		
	उपभोग की गई सामग्री की लागत		
	व्यापार के अधीन स्टॉक का क्रय		
	निर्मित वस्तुओं, कार्रवाई के अधीन तथा व्यापार के अधीन स्टॉक की तालिकाओं में परिवर्तन		
	कर्मचारी लाभ व्यय		
	प्रबंधन पारिश्रमिक		
	लेखापरीक्षकों को भुगतान		
	बीमा व्यय		
	विद्युत और ईंधन		
	वित्तीय लागत		
	अवक्षयण और अपाकरण व्यय		

	अन्य व्यय		
	कुल व्यय		
(V)	आपवादिक और असाधारण मदें और कर (III-IV) के पूर्व लाभ		
(VI)	आपवादिक मदें		
(VII)	असाधारण मदों और कर (V-VI) के पूर्व लाभ		
(VIII)	असाधारण मदें		
(IX)	कर से पूर्व लाभ (VII-VIII)		
(X)	कर व्यय		
	(1) चालू कर		
	(2) आस्थगित कर		
(XI)	जारी संचालनों से अवधि के संबंध में लाभ/(हानि) (IX-X)		
(XII)	असतत संचालनों से लाभ/(हानि)		
(XIII)	असतत संचालनों पर कर व्यय		
(XIV)	सतत संचालनों से लाभ/(हानि) (कर के बाद) (XII-XIII)		
(XV)	लाभ/(हानि) (XI+XIV)		
(XVI)	प्रति इक्विटी शेयर आय		
	(1) मूल		
	(2) तनुकृत		

## भाग क

I. लाभ और हानि का विवरण (01.04.2011 से आरंभ होने वाले वित्तीयवर्ष के लिए लागू)

विशिष्टियां	अवधि से संबंधित आंकड़े (चालू संदर्भाधीन अवधि) से _____ (तारीख/माह/वर्ष) तक _____ (तारीख/माह/वर्ष)	अवधि से संबंधित आंकड़े (पूर्ववर्ती संदर्भाधीन अवधि) से _____ (तारीख/माह/वर्ष) से तक _____ (तारीख/माह/वर्ष)
घरेलू आवर्त		
(i) विनिर्मित वस्तुओं की बिक्री		
(ii) व्यापार की गई वस्तुओं की बिक्री		
(iii) सेवाओं की बिक्री या आपूर्ति		
निर्यात कारोबार		
(i) विनिर्मित वस्तुओं की बिक्री		
(ii) व्यापार किए गए वस्तुओं की बिक्री		
(iii) सेवाओं की बिक्री या आपूर्ति		
अन्य आय		
कुल आय		
उपभोग की गई कच्ची सामग्री (देखें टिप्पणी-1)		
पुनः बिक्री के बाद की गई खरीद (देखें टिप्पणी-2)		
भण्डारों और अतिरिक्त पुर्जों (देखें		



टिप्पण-3)		
(निर्मित वस्तुओं, चल रही प्रगति में वृद्धि या कमी,		
वेतन, मजदूरी और बोनस		
प्रबंधन पारिश्रमिक		
लेखापरीक्षाओं का संदाय		
ब्याज		
बीमा व्यय		
विद्युत और ईंधन		
अपक्षयण और अपाकरण		
अन्य व्यय		
कुल व्यय		
निवल लाभ या निवल हानि (कर और विनियोजन से पूर्व)		
आस्थगित कर सहित आयकर		

**टिप्पण-1** उपभोग की गई कच्ची सामग्री का विवरण निम्नलिखित गणना के अनुसार दिया जाना है  
कच्ची सामग्री का आरंभिक स्टॉक+कच्ची सामग्री की खरीद -कच्ची सामग्रियों का अंतिम स्टॉक

**टिप्पण- 2:** पुनः बिक्री के लिए की गई खरीद का विवरण निम्नलिखित गणना के अनुसार दिया जाना है-

व्यापार किए गए वस्तुओं का आरंभिक स्टॉक +

व्यापार किए गए वस्तुओं की खरीद -

व्यापार किए गए वस्तुओं का अंतिम स्टॉक

टिप्पण 3: भण्डारों और अतिरिक्त पुर्जों के उपभोग का विवरण निम्नलिखित गणना के अनुसार दिया जाना है-भण्डारों और अतिरिक्त पुर्जों का आरंभिक स्टॉक + भण्डारों और अतिरिक्त पुर्जों की खरीद- भंडार और अतिरिक्त पुर्जों का अंतिम स्टॉक

II. विस्तृत लाभ और हानि मद (धनराशि में) (01.04.2011 को या उसके बाद आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागू)

क. विदेशी मुद्रा में आय का विवरण

विशिष्टियां	चालू संदर्भाधीन अवधि	पूर्ववर्ती संदर्भाधीन अवधि
एफ ओ बी आधार पर गणना की गई वस्तुओं का निर्यात		
ब्याज और लाभांश		
स्वामित्व		
व्यवहार-ज्ञान		
वृत्तिक एवं परामर्श शुल्क		
अन्य आय		
विदेशी मुद्रा में कुल आय		

ख. विदेशी मुद्रा में व्यय का विवरण

विवरण	चालू संदर्भाधीन अवधि	पूर्ववर्ती संदर्भाधीन अवधि
सी आई एफ आधार पर गणना की गई वस्तुओं का आयात		
(i) कच्ची सामग्री		
(ii) घटक और अतिरिक्त पुर्जें		
(iii) पूंजीगत वस्तुएं		

के मद में व्यय		
स्वामित्व		
व्यवहार-ज्ञान		
वृत्तिक एवं परामर्श शुल्क		
ब्याज		
अन्य मामले		
संदत्त लाभश		
विदेशी मुद्रा में कुल व्यय	0.00	0.00

### III. विदेशी मानदंड- संदर्भाधीन अवधि के दौरान लाभ और हानि लेखा मदे (धनराशि में)

- \*प्रस्तावित लाभांश \_\_\_\_\_ प्रतिशत
- \*प्रति शेयर अर्जन (रु. में) मूल \_\_\_\_\_ तनुकृत \_\_\_\_\_
- \*विदेशी करेंसी में आय \_\_\_\_\_
- \* विदेशी करेंसी में व्यय \_\_\_\_\_
- \*सरकारी प्राधिकरणों से प्राप्त राजस्व सहायिकी या अनुदान \_\_\_\_\_
- \*संदत्त किराया \_\_\_\_\_
- \*भण्डार और अतिरिक्त पुर्जों का उपभोग \_\_\_\_\_
- \* ए एस-18 (यदि लागू हो) के अनुसार संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार का कुल मूल्य \_\_\_\_\_
- \* ए एस-18 (यदि लागू हो) के अनुसार संबंधित पक्षकारों के डूबंत हुए ऋण \_\_\_\_\_

### IV. कंपनी के मुख्य उत्पादों या सेवाओं से संबंधित विवरण

उत्पाद की कुल संख्या/सेवा श्रेणी \_\_\_\_\_

उत्पाद या सेवा श्रेणी कोड (आई टी सी/एन पी सी एस 4 अंकों का कोड) \_\_\_\_\_  
 उत्पाद का विवरण या सेवा श्रेणी \_\_\_\_\_  
 उत्पाद या सेवा श्रेणी का आवर्त (रु. में) \_\_\_\_\_  
 अधिकतम आवर्त करने वाला उत्पाद या सेवा श्रेणी (आई टी सी/एन पी सी एस 8 अंकों का कोड) \_\_\_\_\_  
 उत्पाद या सेवा का विवरण \_\_\_\_\_  
 सर्वाधिक योगदान करने वाले उत्पाद या सेवा श्रेणी का आवर्त (रु. में) \_\_\_\_\_

टिप्पण: कृपया उत्पाद कोड के लिए वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के समरसता वस्तु विवरण और कूट प्रणाली तथा सेवा कोड के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सेवाओं के लिए राष्ट्रीय उत्पाद वर्गीकरण पर आधारित 'भारतीय व्यापार वर्गीकरण' देखें।

### V. लेखापरीक्षकों की स्वीकृति (यों), आपत्ति (यों)या प्रतिकूल अभ्युक्ति (यों) का विवरण

- \*क्या लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट स्वीकृत की गई है या उसमें कोई आपत्ति या प्रतिकूल टिप्पणियां की गई हैं \_\_\_\_\_ हां \_\_\_\_\_ नहीं
- (क) लेखापरीक्षक रिपोर्ट लेखापरीक्षक की स्वीकृति (यां) आपत्ति (यां) या प्रतिकूल अभ्युक्ति (यां)

--

(ख) बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार लेखापरीक्षक की स्वीकृति (यों), आपत्ति (यों) या प्रतिकूल अभ्युक्ति (यों) पर निदेशक की टिप्पणियां

### **भाग ग- कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की सूचना**

1. \*अवधि जिसके संबंध में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की सूचना दी जा रही है \_\_\_\_\_ (तारीख/माह/वर्ष)  
से \_\_\_\_\_ (तारीख/माह/वर्ष)
2. (क) \*क्या सूचना में समानुषंगी कंपनियों की सूचना भी शामिल \_\_\_\_\_ है \_\_\_\_\_ नहीं  
(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के अस्तित्व (वों) की संख्या \_\_\_\_\_
3. (क) \*क्या सूचना में किसी अन्य अस्तित्व (वों) (उदाहरणस्वरूप आपूर्ति, मूल्य क्रम आदि) की सूचना शामिल है \_\_\_\_\_ हां \_\_\_\_\_ नहीं  
(ख) यदि हां तो इस प्रकार के अस्तित्व (वों) की संख्या \_\_\_\_\_
4. (a) \*\*क्या कंपनी की कोई लिखित कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति है \_\_\_\_\_ हां \_\_\_\_\_ नहीं  
यदि हां, प्रति संलग्न करें  
(b) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की संक्षिप्त विषय-वस्तु \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ कार्यान्वित की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों का सिंहावलोकन  
\_\_\_\_\_ कंपनी की वेबलिंग जहां कारपोरेट सामाजिक कार्यान्वित होने वाली परियोजनाओं या कार्यक्रमों की वेबलिंग  
\_\_\_\_\_ अन्य
5. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का संघटन
6. विगत तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी का औसत निवल लाभ
7. निर्धारित सी एस आर व्यय (उपर्युक्त मद में उल्लिखित धनराशि का दो प्रतिशत)
8. वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय किए गए सी एस आर का विवरण  
(a) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल धनराशि  
(ख) अव्ययित धनराशि, यदि कोई हो;  
(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान जिस प्रकार से धनराशि खर्च की गई उसका विवरण नीचे दिया गया है

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्र.सं.	चिन्हित सी एस आर परियोजना या क्रियाकलाप	क्षेत्र, जिसके दायरे में परियोजना आती है	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) उन राज्य और	परिव्यय धनराशि (बजट) परियोजना या कार्यक्रम-वार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई धनराशि उप-शीर्ष (1) परियोजना	संदर्भाधीन अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई धनराशि प्रत्यक्ष या निष्पादन एजेंसी के माध्यम से *

			जिले को विनिर्दिष्ट करें जहां परियोजनाएं और कार्यक्रम कार्यान्वित होने वाले हैं		या कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष व्यय (2) ऊपरी खर्च		
1							
2							
3							
	कुल						

\*निष्पादन एजेंसी का विवरण दें:

9. यदि कंपनी विगत तीन वित्तीय वर्षों या उसके भाग के संबंध में औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में असफल रही है तो अपनी बोर्ड रिपोर्ट में धनराशि खर्च नहीं करने के कारण।

10. सी एस आर समिति का उत्तरदायित्व संबंधी यह विवरण कि सी एस आर नीति का कार्यान्वयन और उसकी निगरानी कंपनी के सी एस आर लक्ष्यों और नीति के अनुसार की जा रही है।

भाग घ. संबंधित पक्षकार संव्यवहार के बारे में प्रकटीकरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षकारों के साथ, कंपनी द्वारा की गई संविदाएं/व्यवस्था के विवरण का प्रकटीकरण जिसमें उसके तीसरे परन्तुक के अंतर्गत कतिपय आर्म्स लेंथ संव्यवहार का विवरण शामिल हो

**1. उन संविदाओं या व्यवस्थाओं या संव्यवहारों का विवरण जो आर्म्स लेंथ आधार पर नहीं किए गए**

(क) संबंधित पक्षकार का नाम और संबंध की प्रकृति

(ख) संविदा/व्यवस्था/संव्यवहार की प्रकृति

(ग) संविदा/व्यवस्था/संव्यवहार की अवधि

(घ) मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदा या व्यवस्था या संव्यवहार की मुख्य शर्तें

(ङ.) इस प्रकार से की गई संविदाओं या व्यवस्थाओं या संव्यवहार का औचित्य

(च) बोर्ड के अनुमोदन की तारीख (खें)

(छ) अग्रिम, यदि कोई हो, के रूप में संदत्त धनराशि

(ह) धारा 188 के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत यथा अपेक्षित साधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प की तारीख

**2. आर्म्स लेंथ आधार पर सामग्री संविदा या व्यवस्था या संव्यवहार का विवरण**

(क) संबंधित पक्षकार का नाम और संबंध की प्रकृति

(ख) संविदा/व्यवस्था/संव्यवहार की प्रकृति

(ग) संविदा/व्यवस्था/संव्यवहार की अवधि

(घ) मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदा या व्यवस्था या संव्यवहार की मुख्य शर्तें

(च) बोर्ड के अनुमोदन की तारीख

(छ) अग्रिम, यदि कोई हो, के रूप में संदत्त धनराशि

**संलग्नक**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. *धारा 134 के अनुसार समयक रूप से अधिप्रमाणित तुलन पत्र की प्रति (बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज सहित) | <u>संलग्न</u> |
| 2. धारा 129 के अनुसार समानुषंगियों का विवरण  | <u>संलग्न</u> |
| 3. वार्षिक साधारण अधिवेशन में तुलन पत्र अंगीकार नहीं करने संबंधी तथ्य और कारण का विवरण   | <u>संलग्न</u> |
| 4. वार्षिक साधारण अधिवेशन आयोजित नहीं करने संबंधी तथ्य और कारण का विवरण  | <u>संलग्न</u> |
| 5. वित्तीय वर्ष या वार्षिक असाधारण अधिवेशन के विस्तार का अनुमोदन पत्र  | <u>संलग्न</u> |
| 6. धारा 143 के अंतर्गत अनुपूरक या जांच लेखापरीक्षा रिपोर्ट   | <u>संलग्न</u> |
| 7. **धारा 134 के अनुसार विधिवत रूप से अधिप्रमाणित लाभ और हानि लेखा की प्रति  | <u>संलग्न</u> |
| 8. कंपनी सी एस आर प्रति  | <u>संलग्न</u> |
| 9. कंपनी सी एस आर रिपोर्ट  | <u>संलग्न</u> |
| 10. समानुषंगियों का विवरण  | <u>संलग्न</u> |
| 11. अन्य अस्तित्वों का विवरण   | <u>संलग्न</u> |
| 12. वैकल्पिक संलग्नक   | <u>संलग्न</u> |

**सत्यापन**

मैं; यह पुष्टि करता हूँ कि ऊपर उल्लिखित सभी विवरण, संलग्नक तुलन पत्र तथा लाभ और हानि लेखा और अन्य संबंधित कागज-पत्रों के अनुसार हैं जिनमें सभी कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथापेक्षित सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और अधिप्रमाणित है।

मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार प्ररूप और इसके संलग्नकों में दी गई सूचना सही एवं पूरी है।

मुझे निदेशक बोर्ड के दिनांक \_\_\_\_\_ (तारीख /माह/वर्ष) के संकल्प संख्या \* द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

इस प्ररूप पर हस्ताक्षर तथा प्रस्तुत करने के संबंध में।

डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित

कंपनी के प्रबंध निदेशक या प्रबंधक या सचिव \_\_\_\_\_

\*पदनाम \_\_\_\_\_

\*निदेशक या प्रबंध निदेशक का डी आई एन; या प्रबंधक का आय-कर पैन; या सदस्यता संख्या, यदि लागू हो, या सचिव का आय-कर पैनन

\_\_\_\_\_

(कंपनी का सचिव, जो आई सी एस आई के सदस्य नहीं हैं, अपने आय-कर पैन का उल्लेख करें)

[फा. सं. 1/19/2013-सी एल-V ]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st March, 2014

**G.S.R.239 (E).**- In exercise of the powers conferred under sub-sections (1) and (3) of section 128, sub-section (3) of section 129, section 133, section 134, sub-section (4) of section 135, sub-section (1) of section 136, section 137 and section 138 read with section 469 of the Companies Act, 2013, and in supersession of the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956 or any other rules prescribed under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) on matters covered under these rules, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

**1. Short title and commencement. -**

(1) These rules may be called the Companies (Accounts) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of April, 2014.

**2. Definitions.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(b) "Annexure" means the Annexure to these rules;

(c) "Fees" means the fees as specified in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014;

(d) "Form" or "e-Form" means a form set forth in Annexure to these rules which shall be used for the matter to which it relates;

(e) "Schedule" means the Schedule to the Act;

(f) "section" means the section of the Act;

(2) The words and expressions used in these rules but not defined and defined in the Act or in the Companies (Specification of definitions details) Rules, 2014, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in the said Rules.

**3. Manner of books of account to be kept in electronic mode.-** (1) The books of account and other relevant books and papers maintained in electronic mode shall remain accessible in India so as to be usable for subsequent reference.

(2) The books of account and other relevant books and papers referred to in sub-rule (1) shall be retained completely in the format in which they were originally generated, sent or received, or in a format which shall present accurately the information generated, sent or received and the information contained in the electronic records shall remain complete and unaltered.

(3) The information received from branch offices shall not be altered and shall be kept in a manner where it shall depict what was originally received from the branches.

(4) The information in the electronic record of the document shall be capable of being displayed in a legible form.

(5) There shall be a proper system for storage, retrieval, display or printout of the electronic records as the Audit Committee, if any, or the Board may deem appropriate and such records shall not be disposed of or rendered unusable, unless permitted by law:

Provided that the back-up of the books of account and other books and papers of the company maintained in electronic mode, including at a place outside India, if any, shall be kept in servers physically located in India on a periodic basis.

(6) The company shall intimate to the Registrar on an annual basis at the time of filing of financial statement-

(a) the name of the service provider;

(b) the internet protocol address of service provider;

(c) the location of the service provider (wherever applicable);

(d) where the books of account and other books and papers are maintained on cloud, such address as provided by the service provider.

**Explanation.-** For the purposes of this rule, the expression "electronic mode" includes "electronic form" as defined in clause (r) of sub-section (1) of section 2 of Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) and also includes an electronic record as defined in clause (t) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) and "books of account" shall have the meaning assigned to it under the Act.

**4. Conditions regarding maintenance and inspection of certain financial information by directors.-** (1) The summarised returns of the books of account of the company kept and maintained outside India shall be sent to the registered office at quarterly intervals, which shall be kept and maintained at the registered office of the company and kept open to directors for inspection.

(2) Where any other financial information maintained outside the country is required by a director, the director shall furnish a request to the company setting out the full details of the financial information sought, the period for which such information is sought.

(3) The company shall produce such financial information to the director within fifteen days of the date of receipt of the written request.

(4) The financial information required under sub-rules (2) and (3) shall be sought for by the director himself and not by or through his power of attorney holder or agent or representative.

**5. Form of Statement containing salient features of financial statements of subsidiaries.-** The statement containing the salient feature of the financial statement of a company's subsidiary or subsidiaries, associate company or companies and joint venture or ventures under the first proviso to sub-section (3) of section 129 shall be in Form **AOC-1**.

**6. Manner of consolidation of accounts.-** The consolidation of financial statements of the company shall be made in accordance with the provisions of Schedule III of the Act and the applicable accounting standards:

Provided that in case of a company covered under sub-section (3) of section 129 which is not required to prepare consolidated financial statements under the Accounting Standards, it shall be sufficient if the company complies with provisions on consolidated financial statements provided in Schedule III of the Act.

**7. Transitional provisions with respect to Accounting Standards.-** (1) The standards of accounting as specified under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) shall be deemed to be the accounting standards until accounting standards are specified by the Central Government under section 133.

(2) Till the National Financial Reporting Authority is constituted under section 132 of the Act, the Central Government may prescribe the standards of accounting or any addendum thereto, as recommended by the Institute of Chartered Accountants of India in consultation with and after examination of the recommendations made by the National Advisory Committee on Accounting Standards constituted under section 210A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

**8. Matters to be included in Board's report.-** (1) The Board's Report shall be prepared based on the stand alone financial statements of the company and the report shall contain a separate section wherein a report on the performance and financial position of each of the subsidiaries, associates and joint venture companies included in the consolidated financial statement is presented.

(2) The Report of the Board shall contain the particulars of contracts or arrangements with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 in the Form **AOC-2**.

(3) The report of the Board shall contain the following information and details, namely:-

**(A) Conservation of energy-**

- (i) the steps taken or impact on conservation of energy;
- (ii) the steps taken by the company for utilising alternate sources of energy;
- (iii) the capital investment on energy conservation equipments;

**(B) Technology absorption-**

- (i) the efforts made towards technology absorption;
- (ii) the benefits derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitution;
- (iii) in case of imported technology (imported during the last three years reckoned from the beginning of the financial year)-
  - (a) the details of technology imported;
  - (b) the year of import;
  - (c) whether the technology been fully absorbed;
  - (d) if not fully absorbed, areas where absorption has not taken place, and the reasons thereof; and
- (iv) the expenditure incurred on Research and Development.

**(C) Foreign exchange earnings and Outgo-**

The Foreign Exchange earned in terms of actual inflows during the year and the Foreign Exchange outgo during the year in terms of actual outflows.

(4) Every listed company and every other public company having a paid up share capital of twenty five crore rupees or more calculated at the end of the preceding financial year shall include, in the report by its Board of directors, a statement indicating the manner in which formal annual evaluation has been made by the Board of its own performance and that of its committees and individual directors.

(5) In addition to the information and details specified in sub-rule (4), the report of the Board shall also contain -

- (i) the financial summary or highlights;
- (ii) the change in the nature of business, if any;
- (iii) the details of directors or key managerial personnel who were appointed or have resigned during the year;
- (iv) the names of companies which have become or ceased to be its Subsidiaries, joint ventures or associate companies during the year;
- (v) the details relating to deposits, covered under Chapter V of the Act,-
  - (a) accepted during the year;
  - (b) remained unpaid or unclaimed as at the end of the year;
  - (c) whether there has been any default in repayment of deposits or payment of interest thereon during the year and if so, number of such cases and the total amount involved-
    - (i) at the beginning of the year;
    - (ii) maximum during the year;
    - (iii) at the end of the year;
- (vi) the details of deposits which are not in compliance with the requirements of Chapter V of the Act;
- (vii) the details of significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company's operations in future;
- (viii) the details in respect of adequacy of internal financial controls with reference to the Financial Statements.

**9. Disclosures about CSR Policy.-** The disclosure of contents of Corporate Social Responsibility Policy in the Board's report and on the company's website, if any, shall be as per annexure attached to the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014.

**10. Statement containing salient features of financial statements.-** The statement containing features of documents referred to in first proviso to sub-section (1) of section 136 shall be in Form **AOC-3**.

**11. Manner of circulation of financial statements in certain cases.-** In case of all listed companies and such public companies which have a net worth of more than one crore rupees and turnover of more than ten crore rupees, the financial statements may be sent-

- (a) by electronic mode to such members whose shareholding is in dematerialised format and whose email Ids are registered with Depository for communication purposes;
- (b) where Shareholding is held otherwise than by dematerialised format, to such members who have positively consented in writing for receiving by electronic mode; and
- (c) by despatch of physical copies through any recognised mode of delivery as specified under section 20 of the Act, in all other cases.

**12. Filing of financial statements and fees to be paid thereon.-**

(1) Every company shall file the financial statements with Registrar together with Form **AOC-4**.

(2) The class of companies as may be notified by the Central Government from time to time, shall mandatorily file their financial statement in Extensible Business Reporting Language (XBRL) format and the Central Government may specify the manner of such filing under such notification for such class of companies.

*Explanation.-* For the purposes of this sub-rule, the term "Extensible Business Reporting Language" means a standardised language for communication in electronic form to express, report or file financial information by companies under this rule.

(3) The fees or additional fees referred to in sub-section (1) of section 137 and in the second proviso to the said sub-section and in sub-section (2) of the said section shall be as specified in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014.



**13. Companies required to appoint internal auditor.-** (1) The following class of companies shall be required to appoint an internal auditor or a firm of internal auditors, namely:-

- (a) every listed company;
- (b) every unlisted public company having-
- (i) paid up share capital of fifty crore rupees or more during the preceding financial year; or
  - (ii) turnover of two hundred crore rupees or more during the preceding financial year; or
  - (iii) outstanding loans or borrowings from banks or public financial institutions exceeding one hundred crore rupees or more at any point of time during the preceding financial year; or
  - (iv) outstanding deposits of twenty five crore rupees or more at any point of time during the preceding financial year; and
- (c) every private company having-
- (i) turnover of two hundred crore rupees or more during the preceding financial year; or
  - (ii) outstanding loans or borrowings from banks or public financial institutions exceeding one hundred crore rupees or more at any point of time during the preceding financial year:

Provided that an existing company covered under any of the above criteria shall comply with the requirements of section 138 and this rule within six months of commencement of such section.

*Explanation.-* For the purposes of this rule –

- (i) the internal auditor may or may not be an employee of the company;
  - (ii) the term “Chartered Accountant” shall mean a Chartered Accountant whether engaged in practice or not.
- (2) The Audit Committee of the company or the Board shall, in consultation with the Internal Auditor, formulate the scope, functioning, periodicity and methodology for conducting the internal audit.

**Annexure**

**Form AOC-I**

(Pursuant to first proviso to sub-section (3) of section 129 read with rule 5 of Companies (Accounts) Rules, 2014)

**Statement containing salient features of the financial statement of subsidiaries/associate companies/joint ventures**

**Part “A”: Subsidiaries**

(Information in respect of each subsidiary to be presented with amounts in Rs     )

1. Sl. No.
2. Name of the subsidiary
3. Reporting period for the subsidiary concerned, if different from the holding company’s reporting period
4. Reporting currency and Exchange rate as on the last date of the relevant Financial year in the case of foreign subsidiaries.
5. Share capital
6. Reserves & surplus
7. Total assets
8. Total Liabilities
9. Investments
10. Turnover
11. Profit before taxation
12. Provision for taxation
13. Profit after taxation

14. Proposed Dividend

15. % of shareholding

**Notes:** The following information shall be furnished at the end of the statement:

1. Names of subsidiaries which are yet to commence operations
2. Names of subsidiaries which have been liquidated or sold during the year.

**Part “B”: Associates and Joint Ventures**

**Statement pursuant to Section 129 (3) of the Companies Act, 2013 related to Associate Companies and Joint Ventures**

Name of Associates/Joint Ventures	Name 1	Name 2	Name 3
<b>1. Latest audited Balance Sheet Date</b>			
<b>2. Shares of Associate/Joint Ventures held by the company on the year end</b>			
No.			
Amount of Investment in Associates/Joint Venture			
Extend of Holding %			
<b>3. Description of how there is significant influence</b>			
<b>4. Reason why the associate/joint venture is not consolidated</b>			
<b>5. Networth attributable to Shareholding as per latest audited Balance Sheet</b>			
<b>6. Profit / Loss for the year</b>			
i. Considered in Consolidation			
i. Not Considered in Consolidation			

1. Names of associates or joint ventures which are yet to commence operations.
2. Names of associates or joint ventures which have been liquidated or sold during the year.

**Note :** This Form is to be certified in the same manner in which the Balance Sheet is to be certified.

**Form No. AOC-2**

(Pursuant to *clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014*)

**Form for disclosure of particulars of contracts/arrangements entered into by the company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arms length transactions under third proviso thereto**

1. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis

- (a) Name(s) of the related party and nature of relationship
- (b) Nature of contracts/arrangements/transactions
- (c) Duration of the contracts / arrangements/transactions
- (d) Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any
- (e) Justification for entering into such contracts or arrangements or transactions
- (f) date(s) of approval by the Board
- (g) Amount paid as advances, if any:
- (h) Date on which the special resolution was passed in general meeting as required under first proviso to section 188

2. Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis

- (a) Name(s) of the related party and nature of relationship
- (b) Nature of contracts/arrangements/transactions
- (c) Duration of the contracts / arrangements/transactions
- (d) Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any:
- (e) Date(s) of approval by the Board, if any:
- (f) Amount paid as advances, if any:

Form shall be signed by the persons who have signed the Board's report.

**FORM AOC-3**

(Pursuant to first proviso to sub-section (1) of section 136 of the Act and Rule 10 of Companies (Accounts) Rules, 2014)

Statement containing salient features of Balance Sheet and Profit and Loss Account

**Form of Abridged Financial Statements**

Name of the Company .....

Abridged Balance Sheet as at ..... (Rupees in .....)

Figures at the end of

Sr No.	Particulars	Current reporting	Previous reporting
		period (DD/MM/YY)	period (DD/MM/YY)

**I EQUITY AND LIABILITIES****(1) Shareholders' funds**

(a) Paid-up Share Capital

(i) Equity

(ii) Preference

(b) Reserves and surplus

(i) Capital Reserves (including  
Revaluation reserve, if any)

(ii) Revenue Reserves

(iii) Surplus

(c) Money received against share  
warrants**(2) Share application money pending allotment****(3) Non-current liabilities**

(a) Long-term borrowings

(b) Deferred tax liabilities(Net)

(c) Other Long-term liabilities

(d) Long-term provisions

**(4) Current liabilities**

(a) Short-term borrowings

(b) Trade Payables

(c) Other current liabilities

(d) short-term provisions

**Total of (1) to (4)****II. ASSETS****(5) Non-current assets**

(a) Fixed assets

(i) Tangible assets ( original cost less  
Depreciation)(ii) Intangible assets (original cost less  
Depreciation/amortisation)

(iii) Capital work-in-progress
(iv) Intangible assets under development
(b) Non-current investments
(c ) Deferred tax assets (net)
(d) Long-term loans and advances
(e) Other Non-Current Assets
<b>(6) Current assets</b>
(a) Current investments
(b) Inventories
(c ) Trade Receivables
(d) cash and cash equivalents
(e) short-term loans and advances
(f) Other current assets
<b>Total of (5) to (6)</b>
<b>Note:</b> Complete Balance Sheet, Statement of Profit and Loss, other statements and notes thereto prepared as per the requirements of Schedule III to the Act are available at the Company's website at link.....

**Abridged Profit and Loss Account for the year ended on .....**

(Rupees in .....)

Sr.No.	Particulars	Figures for the current reporting period(DD/MM/YY)	Figures for the previous reporting period(DD/MM/YY)
I	Income		
	Revenue from operations(details to be given as per *)		
II	Other Income		
III	Total Income(I+II)		
IV	Expenditure		
(a)	Cost of materials consumed		
(b)	Purchase of stock-in-trade		
(c)	Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and stock-in-trade		
(d)	Employee benefit expense		
(e)	Finance costs		
(f)	Depreciation and amortisation expenses		

(g)	Other expenses		
	Total Expenditure (a to g)		
V	Profit before exceptional and extraordinary items and tax (III-IV)		
VI	Exceptional items		
VII	Profit before extraordinary items and tax (V-VI)		
VIII	Extraordinary items		
IX	Profit/(loss) before tax (VII-VIII)		
X	1. Tax expense 2. Deferred tax		
XI	Profit/(Loss) after tax for the period from continuing operations (IX-X)		
XII	Profit/(loss) from discontinued operations		
XIII	Tax expenses of discontinued operations		
XIV	Profit/(loss) from discontinued operations (after tax) (XII-XIII)		
XV	Profit/(Loss) for the year (XI+XIV)		
XVI	Earnings per equity share: (a) Basic (b) Diluted		

\* Details of Revenue from Operations:

a) In respect of a company other than a finance company, revenue from operations shall be disclosed as under:

(Rupees in .....)

S.No	Particulars	Figures for the current reporting period (DD/MM/YY)	Figures for the previous reporting period(DD/MM/YY)
I	Sale of products manufactured		
II	Sale of goods traded		
III	Revenue from services provided		
IV	Other Operational Revenue		

(b) In respect of a finance company, revenue from operations shall be disclosed as under:

- (a) Revenue from interest; and
- (b) Revenue from Other financial services

**NOTES TO THE ABRIDGED BALANCE SHEET AND THE ABRIDGED PROFIT AND LOSS ACCOUNT**

1. The amounts to be shown here should be the same as shown in the corresponding aggregated heads in the financial statements as per Schedule III or as near thereto as possible.
2. The total amount of contingent liabilities and that of commitments should be shown separately.
3. All notes forming part of the financial statements as per Schedule III to which specific attention has been drawn by the auditors or which form a subject matter of qualification by the auditor should be reproduced.
4. If fixed assets are revalued, the amount of revaluation to be shown separately for the first five years subsequent to the date of revaluation.
5. Any item which constitutes 20% or more of the total income or expenditure (including provisions) should be shown separately.
6. Amount, if material, by which any item shown in the profit and loss account are affected by any change in the accounting policy, should be disclosed separately.
7. Notes shall include the notes, if any, contained in the complete financial statements pertaining to the following:
  - (a) Period and amount of defaults on the balance sheet date in repayment of loans and interest.
  - (b) Amalgamations, acquisitions, restructurings and demergers during the reporting period.
  - (c) Material events affecting the going concern assumption.
  - (d) Investigation and inspection conducted or ordered under the provisions of Companies Act, 2013.
  - (e) Non-compliance with any law during the reporting period.
  - (f) Any other note considered significant by the management.
8. Book value and Market value of quoted Investments (both for current year as well as previous year) be mentioned.
9. Notes in the abridged balance sheet should be given the same number as in the main balance sheet.
10. Disclosure of Related Party Transaction shall be made in terms of the requirements of Accounting Standards.
11. Details of cash and cash equivalents shall be disclosed as follows:
  - (a) Balances with banks;
  - (b) Cheques, drafts on hand;
  - (c) Cash in hand;
  - (d) Others ( specify nature)
12. In terms of Accounting Standard (AS)3, Cash Flow Statement, wherever required and notified, the following abridged Cash Flow Statement shall be included:

**Abridged Cash Flow Statement**

Figures for the current reporting period	Figures for the previous reporting period
---	--

1. Cash flows from  
Operating activities
2. Cash flows from  
Investing activities
3. Cash flows from  
Financing activities
4. Net increase/(decrease)

- In cash and cash  
Equivalents
5. Cash and cash equivalents  
At the beginning of period
6. Cash and cash equivalents  
At the end of period
13. Segment revenue, segment capital employed(segment assets minus segment liabilities) and segment result for business segments or geographical segments, whichever is the enterprise's primary basis of segment reporting(disclosure of segment information shall be presented) only if the company is required, in terms of Accounting Standards.
14. Level of rounding off should be the same as in the main balance sheet and the profit and loss account.
15. Where compliance with the requirements of the Act including Accounting Standards as applicable to the companies require any change in treatment or disclosure including addition, amendment, substitution or deletion in the head/subhead or any changes *inter se* in the financial statements or statements forming part thereof, the same shall be made.

The above stated salient features of the Balance Sheet and the Profit and Loss Account should be authenticated in the same manner as the Main financial statements.

#### AUDITOR'S REPORT

Auditor's Report shall be submitted by the statutory auditors in accordance with the Auditing Standards. Auditor's report on unabridged financial statements shall also be given.

#### DIRECTOR'S REPORT

Salient features of Director's Report shall be disclosed.

#### CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

1. Where a company is required to prepare Consolidated Financial Statements, *i.e.* consolidated balance sheet and consolidated statement of profit and loss, the company shall *mutatis mutandis* follow the requirements of Schedule III of the Act, as applicable to a company in the preparation of balance sheet and statement of profit and loss. In addition, the consolidated financial statements shall disclose the information as per the requirements specified in the applicable Accounting Standards including the items specified at Serial numbers (1) and (2) under the heading "general instructions for the preparation of consolidated financial statements" contained in the said Schedule.

Note : To be certified in the same manner in which the Balance Sheet is to be certified.

<p><b>FORM AOC-4</b></p> <p>[See section 137 of the Companies Act, 2013 and Rule 12(1) of Companies (Accounts) Rules, 2014</p>	<p><b>Form for filing financial statement and other documents with the Registrar</b></p>
--	--

Note-

-All fields marked in \*are to be mandatorily filled.

-Figures appearing in the e-Form should be entered in Absolute Rupees only. Figures should not be rounded off in any other unit like hundreds, thousands, lakhs, millions or crores.

Authorised capital of the company as on the date of filing (in Rs.) \_\_\_\_\_

Number of members of the company as on the date of filing \_\_\_\_\_

#### SEGMENT- I: INFORMATION AND PARTICULARS IN RESPECT OF BALANCE SHEET

##### Part A

I. General information of the company

1. (a) Corporate identity number (CIN) of company \_\_\_\_\_ (Pre-fill)

(b) Global location number (GLN) of company \_\_\_\_\_

2. Name of the company \_\_\_\_\_



3. (a) Address of the registered office of the company \_\_\_\_\_

(b) \*e-mail ID of the company \_\_\_\_\_

4(a) \*Financial year to which balance sheet relates

From \_\_\_\_\_ (DD/MM/YYYY) To \_\_\_\_\_ (DD/MM/YYYY)

(b) \* Date of Board of directors' meeting in which balance sheet was approved \_\_\_\_\_ (DD/MM/YYYY)

(c) Details of director(s), Managing Director, manager, secretary of the company who have signed the balance sheet

**Following details are to be entered only in case date of balance sheet is on or after 1<sup>st</sup> July '2007**

Provide Director Identification number (DIN) in case of director, Managing Director and Income-tax permanent account number (Income-tax PAN) in case of manager, secretary

DIN or Income-tax PAN \_\_\_\_\_ (Pre-fill) Designation \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Date of signing of balance sheet \_\_\_\_\_ (DD/MM/YYYY)

[Information to be provided for each person]

5. (a) \* Date of Board of directors' meeting in which Board's report referred to under section 134 was approved \_\_\_\_\_ (DD/MM/YYYY)

(b) Details of director(s), Managing Director who have signed the Board's report

Following details are to be entered only in case date of Board of directors' meeting is on or after 1<sup>st</sup> July' 2007

DIN \_\_\_\_\_ (Pre-fill) Designation \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Date of signing of Board's report \_\_\_\_\_ (DD/MM/YYYY)

[Information to be provided for each person]

6. \* Date of signing of reports on the balance sheet by the auditors \_\_\_\_\_ (DD/MM/YYYY)

7. (a) \* Whether annual general meeting (AGM) held \_\_\_\_ Yes \_\_\_\_ No

(b) If yes, date of AGM \_\_\_\_\_ (DD/MM/YYYY)

(c) \*Due date of AGM \_\_\_\_\_ (DD/MM/YYYY)

(d) Date of AGM in which accounts are adopted by shareholders \_\_\_\_\_ (DD/MM/YYYY)

(e) \*Whether any extension for financial year or AGM granted \_\_ Yes \_\_\_\_ NO

(f) If yes, due date of AGM after grant of extension \_\_\_\_\_ (DD/MM/YYYY)

8. (a) \*Whether the company is a subsidiary company as defined under section 2(87) \_\_\_\_ Yes \_\_\_\_ No

(b) CIN of the holding company, if applicable \_\_\_\_\_ (Pre- Fill)

(c) Name of the holding company \_\_\_\_\_

(d) Provision pursuant to which the company has become a subsidiary \_\_\_\_\_

9.(a) \* Whether the company has a subsidiary company as defined under section 2(87) \_\_\_\_ Yes \_\_\_\_ No

(b) If yes, then indicate number of subsidiary company(s) \_\_\_\_\_

CIN of subsidiary company \_\_\_\_\_

Name of the subsidiary company \_\_\_\_\_

Section under which the company has become a subsidiary \_\_\_\_\_

(Pre-fill all)

10. \*Number of auditors \_\_\_\_\_

(I) (a) Category of auditor \_\_\_\_\_ individual \_\_\_\_\_ Auditor's firm

(b) \*Income-tax PAN of auditor or auditor's firm \_\_\_\_\_

(c)\* Name of the auditor or auditor's firm \_\_\_\_\_

(d) \* Membership number of auditor or auditor's firm's registration number \_\_\_\_\_

(e) Address of the auditor or auditor's firm

Line I \_\_\_\_\_

Line II \_\_\_\_\_

\* City \_\_\_\_\_ \* State \_\_\_\_\_

Country \_\_\_\_\_ \*Pin code \_\_\_\_\_

(f) Details of the member representing the above firm

Name \_\_\_\_\_

Membership number \_\_\_\_\_

(g) \* SRN of Form relating to appointment of auditors \_\_\_\_\_

[Information to be provided for each person]

11. (a) In case of a government company, whether Comptroller and Auditor-General of India (CAG of India) has commented upon or supplemented the audit report under section 143 of the Companies Act, 2013 \_\_\_\_\_ Yes \_\_\_\_\_ No

(b) Provided details of comment(s) or supplement(s) received from CAG of India

--

(c) Director's reply(s) on comments received from CAG of India

--

(d) Whether CAG of India has conducted supplementary or test audit under section 143 \_Yes \_ No

12. (a) \*Whether Schedule III of the Companies Act, 2013 is applicable \_\_\_\_ Yes \_\_\_\_ NO

(b)\*Type of Industry \_\_\_\_\_

Note: In case the type of industry is other than Banking or Power or Insurance or NBFC, then select Commercial and Industrial (C&I).

**Part –B I. BALANCE SHEET (As per Schedule III to the Companies Act, 2013 applicable for the financial year commencing on or after 1.4.2011)**

	Particulars	Figures as at the end of (Current reporting period) (in Rs.) _____ (DD/MM/YYYY)	Figures as the end of (Previous reporting period) (in Rs.) _____ (DD/MM/YYYY)
<b>I. (1)</b>	<b>EQUITY AND LIABILITIES</b>		
	<b>Shareholders' funds</b>		
	(a) Share capital		
	(b) Reserves and surplus		
	(c) Money received against share warrants		
<b>(2)</b>	<b>Share application money pending allotment</b>		
<b>(3)</b>	<b>Non-current liabilities</b>		
	(a) Long-term borrowings		
	(b) Deferred tax liabilities (net)		
	(c) Other long term liabilities		
	(d) Long term provisions		
<b>(4)</b>	<b>Current liabilities</b>		
	(a) Short-term borrowings		
	(b) Trade payables		
	(c) Other current liabilities		
	(d) Short-term provisions		
	<b>TOTAL</b>		

<b>II.</b>	<b>ASSETS</b>		
<b>(1)</b>	<b>Non-current assets</b>		
	(a) Fixed assets		
	(i) Tangible assets		
	(ii) Intangible assets		
	(iii) Capital work-in progress		
	(iv) Intangible assets under development		
	(b) Non-current Investments		
	(c) Deferred tax assets (net)		
	(d) Long-term loans and advances		
	(e) Other non-current assets		
<b>(2)</b>	<b>Current assets</b>		
	(a) Current investments		
	(b) Inventories		
	(c) Trade receivables		
	(d) Cash and cash equivalents		
	(e) Short-term loans and advances		
	(f) Other current assets		
	<b>TOTAL</b>		

**Part I. BALANCE SHEET (Applicable for financial year commencing before 01.04.2011)**

Particulars	Figures as at the end of (Current financial year) (in Rs.)	Figures for the period (Previous financial year) (in Rs.)
Sources of funds		
Paid-up capital		
Share application money (pending allotment)		
Reserve and surplus		
Secured loans		
Unsecured loans		
Deferred tax liabilities (Net)		
Other (Please specify)		
<b>TOTAL</b>		
Application of funds		
Gross fixed assets (including intangible assets)		
Less: depreciation and amortization		
Net fixed assets		
Capital work- in-progress		
Investments		
Deferred tax assets (Net)		
Current assets, loans and advances		
(a) Inventories		
(b) Sundry debtors		
(c) Cash and bank balances		
(d) Other current assets		
(e) Loans and advances		
Less: Current liabilities and provisions		

(a) Liabilities		
(b) Provisions		
Net current assets		
Miscellaneous expenditure to the extent not written off or adjusted		
Profit and loss account		
Other (Please specify)		
<b>TOTAL</b>	0.00	0.00

**II. Detailed Balance sheet items (Amount in Rs. ) as on balance sheet date (Applicable in case of financial year commencing on or after 01.04.2011)**

**A. Details of long term borrowings (unsecured)**

Particulars	Current reporting period	Previous reporting period
Bonds/ debentures		
Term Loans		
-From banks		
-From other parties		
Deferred payment liabilities		
Deposits		
Loans and advances from related parties		
Long term maturities of financial lease obligations		
Other loans & advances		
Total long term borrowings (unsecured)		
Out of above total, aggregate amount guaranteed by directors		

**B. Details of short term borrowings (unsecured)**

Particulars	Currents reporting period	Previous reporting period
Loans repayable on demand		
-From banks		
-From other parties		
Loans and advances from related parties		
Deposits		
Other loans and advances		
Total short term borrowings (unsecured)		
Out of above total, aggregate amount guaranteed by directors		

**C. Details of long term loans and advances (unsecured, considered good)**

Particulars	Current reporting period	Previous reporting period
Capital advances		
Security deposits		
Loans and advances to other related parties		
Other loans and advances		
Total long term loan and advances		
Less: Provision/ allowance for bad and doubtful loans and advances		
-From related parties		
-From others		

Net long term loan and advances (unsecured, considered good)		
Loans and advances due by directors/ other officers of the company (refer note 6.L.(iv) of Schedule III)		

**D. Details of long term loans and advances (doubtful)**

	Current reporting period	Previous reporting period
Capital advances		
Security deposits		
Loans and advances to related parties		
Other loans and advances		
Total long term loan and advances		
Less : Provision/ allowance for bad and doubtful loans and advances		
-From related parties		
-From others		
Net long term loan and advances (doubtful)		
Loans and advances due by directors/ other officers of the company (refer note 6. L(iv) of Schedule III)		

**E. Details of trade receivables**

Particulars	Current reporting period		Previous reporting period	
	Exceeding six months	Within six months	Exceeding six months	Within six months
Secured, considered good				
Unsecured, considered good				
Doubtful				
Total trade receivables				
Less: provision/ allowance for bad and doubtful debts				
Net trade receivables				
Debt due by (directors/others officers of the company (refer note 6.M(iii) of Schedule III)				

**III. Financial parameters – Balance sheet items (Amount in Rs. ) as on balance sheet date (unless specified otherwise)**

- \*Amount of issue for contracts without payment received in cash during reporting period

2. \*Share application money given \_\_\_\_\_
3. \*Share application money given during the reporting period \_\_\_\_\_
4. \*Share application money received during the reporting period \_\_\_\_\_
5. \*Paid-up capital held by foreign company \_\_\_\_\_ per cent
6. \*Paid-up capital held by foreign holding and/ or through its subsidiaries \_\_\_\_\_ per cent
7. \*Number of shares bought back during the reporting period \_\_\_\_\_
8. \*Deposits accepted or renewed during the reporting period \_\_\_\_\_
9. \*Deposits matured and claimed but not paid during reporting period \_\_\_\_\_
10. \*Deposits matured and claimed but not paid \_\_\_\_\_
11. \*Deposits matured, but not claimed \_\_\_\_\_
12. \*Unclaimed matured debentures \_\_\_\_\_
13. \*Debentures claimed but not paid \_\_\_\_\_
14. \*Interest on deposits accrued and due but not paid \_\_\_\_\_
15. \*Unpaid dividend \_\_\_\_\_
16. \*Investment in subsidiary companies \_\_\_\_\_
17. \*Investment in government companies \_\_\_\_\_
18. \*Capital reserve \_\_\_\_\_
19. \*Amount due for transfer to Investor Education and Protection Fund (IEPF) \_\_\_\_\_
20. \*Inter-corporate deposits \_\_\_\_\_
21. \*Gross value of transaction as per AS- 18 (if applicable) \_\_\_\_\_
22. \*Capital subsidies or grants received from government authority(s) \_\_\_\_\_
23. \*Calls unpaid by directors \_\_\_\_\_
24. \*Calls unpaid by others \_\_\_\_\_
25. \*Forfeited shares (amount originally paid-up) \_\_\_\_\_
26. \*Forfeited shares reissued \_\_\_\_\_
27. \*Borrowing from foreign institutional agencies \_\_\_\_\_
28. \*Borrowing from foreign companies \_\_\_\_\_
29. \*Inter-corporate borrowings -secured \_\_\_\_\_
30. \*Inter-corporate borrowings –unsecured \_\_\_\_\_
31. \*Commercial Paper \_\_\_\_\_
32. \*Conversion of warrants into equity shares during the reporting period \_\_\_\_\_
33. \*Conversion of warrants into preference shares during the reporting period \_\_\_\_\_
34. \*Conversion of warrants into debentures during the reporting period \_\_\_\_\_
35. \*Warrants issued during the reporting period (In foreign currency) \_\_\_\_\_
36. \*Warrants issued during the reporting period (In Rs. ) \_\_\_\_\_
37. \*Default in payment of short term borrowings and interest thereon \_\_\_\_\_
38. \*Default in payment of long term borrowings and interest thereon \_\_\_\_\_
39. \*Whether any operating lease has been converted to financial lease or vice-a-versa\_\_ Yes \_\_\_ No

Provides details of such conversions

40. Net Worth of the company \_\_\_\_\_
41. Number of shareholders to whom shares allotted under private placement \_\_\_\_\_ during the reporting period
42. \*Secured Loan \_\_\_\_\_
43. \*Gross fixed assets (including intangible assets) \_\_\_\_\_
44. \*Depreciation and amortization \_\_\_\_\_
45. \*Miscellaneous expenditure to the extent not written off or adjusted \_\_\_\_\_

**IV. Shares capital raised during the reporting period (Amount in Rs.)**

	Equity shares	Preference shares	Total
(a) Public issue			
(b) Bonus issue			
(c) Rights issue			
(d) Private placement arising out of conversion of debentures/ preference shares			
(e) Other private placement			
(f) Preferential allotment arising out of conversion of debentures/ preference shares			
(g) Other preferential allotment			
(h) Employee Stock Option Plan (ESOP)			
(i) Other			
(j) Total amount of shares capital raised during the reporting period			

**V. Details of qualification(s), reservation(s) or adverse remark(s) made by auditors**

- \*Whether auditors' report has been qualified or has any reservations or contains adverse remarks \_\_\_ Yes \_\_\_ No
- (a) Auditor's qualification(s), reservation(s) or adverse remark(s) in the auditors' report

--

- (b) Director's comments on qualification(s), reservation(s) or adverse remark(s) of the auditors as per Board's report

--

**VI. Details w.r.t Companies (Auditor's Report) Order, 2003 (CARO)**

- Whether Companies (Auditor's Report) Order, 2003 (CARO) applicable \_\_\_\_\_ Yes \_\_\_ No.
- Auditor's comment on the items specified under Companies (Auditor's Report) Order, 2003 (CARO)

Particulars	Auditor's comments on the report
Fixed assets	
Inventories	
Loans given or taken by the company	
Related Party Transactions/Section 188	
Acceptance of Public Deposits	
Maintenance of Cost records	
Statutory dues	
End use of borrowed funds	
Special statute – chit fund companies	
Nidhi/ mutual benefit fund-special aspects	
Financing companies –special aspects	
Term loans	
Preferential allotments	
Disclosure of end use of funds	

Others	
--------	--

**VII. Details related to cost records and cost audit**

1. \*Whether maintenance of cost records by the company has been mandated under Cost Accounting Record Rules  
\_\_ Yes \_\_ No
2. \*Whether audit of cost records of the company has been mandated by Central Government  
\_\_ Yes \_\_ No
3. If yes, names of the product of activity groups under cost audit

--

**SEGMENT II: INFORMATION AND PARTICULARS IN RESPECT OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT****Part- A**

I. STATEMENT OF PROFIT AND LOSS (As per Schedule III to the Companies Act, 2013 applicable for the financial year commencing on or after 1.4.2011)

		Figures for the period (Current reporting period)(in.) From _____ (DD/MM/YYYY) To _____ (DD/MM/YYYY)	Figures for the period (Previous reporting period) (in.) From _____ (DDMMYYYY) To _____ (DD/MM/YYYY)
(I)	Revenue from operations		
	Domestic turnover		
	(i) Sale of goods manufactured		
	(ii) Sale of goods traded		
	(iii) Sale or supply of services		
	Export turnover		
	(i) Sale of goods manufactured		
	(ii) Sale of goods traded		
	(iii) Sale or supply of services		
(II)	Other Income		
(III)	Total Revenue (I+II)	0.00	0.00
(IV)	Expenses		
	Cost of materials consumed		
	Purchases of stock in trade		
	Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and stock in trade		
	Employee benefit expenses		
	Managerial remuneration		
	Payment to Auditors		
	Insurance expenses		
	Power and fuel		
	Finance cost		
	Depreciation and amortization expenses		
	Other expenses		
	Total expenses		
(V)	Profit before exceptional and extraordinary items and tax (III-IV)		
(VI)	Exceptional items		



(VII)	Profit before extraordinary items and tax (V-VI)		
(VIII)	Extraordinary items		
(IX)	Profit before tax (VII-VIII)		
(X)	Tax Expense		
	(1) Current tax		
	(2) Deferred tax		
(XI)	Profit/(Loss) for the period from continuing operations (IX-X)		
(XII)	Profit /(Loss) from discontinuing operations		
(XIII)	Tax expense of discontinuing operations		
(XIV)	Profit/ (Loss) from discontinuing operations (after tax) (XII-XIII)		
(XV)	Profit /(Loss) (XI+XIV)		
(XVI)	Earnings per equity share		
	(1) Basic		
	(2) Diluted		

Part A

## I. STATEMENT OF PROFIT AND LOSS (Applicable for financial year commencing before 01.4.2011)

Particulars	Figures for the period (amount in rupees) (Current financial year) From _____ (DD/MM/YYYY) To _____ (DD/MM/YYYY)	Figures for the period (amount in rupees) (Previous financial year) From _____ (DD/MM/YYYY) To _____ (DD/MM/YYYY)
Domestic turnover		
(i) Sale of goods manufactured		
(ii) Sale of goods traded		
(iii) Sale or supply of services		
Export turnover		
(i) Sale of goods manufactured		
(ii) Sale of goods traded		
(iii) Sale or supply of services		
Other income		
Total income		
Raw material consumed (see note 1)		
Purchase made for re-sale (see note 2)		
Consumption of stores and spare parts (see note 3)		
(Increase) or decrease in finished goods, work-in-progress		
Salaries, wages and bonus		
Managerial remuneration		
Payment of auditors		
Interest		
Insurance expenses		
Power and fuel		
Depreciation and amortization		
Other expenditure		
Total expenditure		
Net Profit or Net Loss (before tax and appropriation)		
Income tax including deferred tax		

Note 1: Raw material consumed is to be given as per following calculation:—

Opening stock of raw materials+ purchase of raw materials- closing stock of raw materials:—

Note 2: Purchase made for re—sale is to be given as per following calculation-

Opening stock of goods traded + purchases of goods traded- closing stock of goods traded:—

Note 3: Consumption of stores and spare parts to be given as per following calculation:—

Opening stock of stores and spares + purchases of stores and spares – closing stock of store and spare

II. Detailed Profit and Loss items (Amount in) (applicable in case of financial year commencing on or after 01.04.2011)

A. Details of earning in foreign exchange

Particulars	Current reporting period	Previous reporting period
Export of goods calculated on FOB basis		
Interest and dividend		
Royalty		
Know- how		
Professional & consultation fees		
Other income		
Total Earning in Foreign Exchange		

B. Details of expenditure in foreign exchange

Particulars	Current reporting period	Previous reporting period
Import of goods calculated on CIF basis:		
(i) raw material		
(ii) component and spare parts		
(iii) capital goods		
Expenditure on account of		
Royalty		
Know-how		
Professional & consultation fees		
Interest		
Other matters		
Dividend paid		
Total Expenditure in foreign exchange	0.00	0.00

III. Financial parameters – Profit and loss account items (amount in ) during the reporting period

- 1.\*Proposed Dividend \_\_\_\_\_ per cent
2. \*Earning per share (in Rs)      Basic \_\_\_\_\_  
   Diluted \_\_\_\_\_
3. \*Income in foreign currency \_\_\_\_\_
4. \*Expenditure in foreign currency \_\_\_\_\_
5. \*Revenue subsidies or grants received from government authority(s) \_\_\_\_\_
6. \*Rent paid \_\_\_\_\_
7. \*Consumption of stores and spare parts \_\_\_\_\_
8. \* Gross value of the transaction with the related parties as per AS-18 (if applicable) \_\_\_\_\_
9. \*Bad debts of related parties as per AS-18 (if applicable) \_\_\_\_\_

IV. Details related to principal products or services of the company

Total number of product/ services category(s) \_\_\_\_\_

Product or service category code (ITC/NPCS 4 digit code) _____
Description of the product _____ or service category _____
Turnover of the product or service category (in Rs) _____
Highest turnover contributing product or service code (ITC/NPCS 8 digit code) _____
Description of the product _____ or service _____
Turnover of highest contributing product or service (in Rs.) _____

**Note** – Please refer to ‘Indian Trade Classification’ based on harmonized commodity description and coding system issues by the Ministry of Commerce & Industry for Product Codes and National Product Classification for Services (NPCS) for Services codes issued by Ministry of Statistics & Programme Implementation, Government of India.

V. Details of qualification(s), reservation(s) or adverse remark(s) made by auditors.

1. \*Whether auditors’ report has been qualified or has any reservations or contains adverse remarks \_\_\_ Yes \_\_\_ No

2. (a) Auditor’s qualification(s), reservation(s) or adverse remark(s) in the auditors’ report

--

(b) Director’s comments on qualification(s), reservation(s) or adverse remark of the auditors as per Board’s report

--

### **Segment C: Reporting of Corporate Social Responsibility (CSR)**

1. \*Period for which CSR is being reported From \_\_\_\_\_ (DD/MM/YYYY)  
To \_\_\_\_\_ (DD/MM/YYYY)
2. (a) \*Whether information includes information about subsidiary company(s) \_\_\_ Yes \_\_\_ No  
(b) If yeas, then indicate number of such subsidiary company(s) \_\_\_\_\_
3. (a) \*Whether information includes information about any other entity(s) \_\_\_ Yes \_\_\_ No  
(e.g. supplies, value chain etc.)  
(b) If yes, then indicate number of such entity(s) \_\_\_\_\_
4. (a) \*Does the company have a written CSR policy \_\_\_ Yes \_\_\_ No  
If yes, attach a copy  
(b) Brief contents of the CSR policy \_\_\_\_\_  
\_\_\_ Overview of projects or preforms proposed to be undertaken  
\_\_\_ We-link of company at which CSR policy is places  
\_\_\_ Web link projects or performs undertaken  
\_\_\_ Others
5. The Composition of the CSR Committee
6. Average net profit of the company for last three financial years.
7. Prescribed CSR Expenditure (two per cent. off the amount as in item 6 above)
8. Details of CSR spent during the financial year.  
(a) Total amount to be spent for the financial year.  
(b) Amount unspent, if any;  
(c) Manner in which the amount spent during the financial year is detailed below.

(1) S. No.	(2) CSR project or activity identified	(3) Sector in which the Project is covered	(4) Projects or programs (1) Local area or other (2) Specify the State and district where projects or programs was undertaken	(5) Amount outlay (budget) project or programs wise	(6) Amount spent on the projects or programs  Sub-heads: (1) Direct expenditure on projects or programs. (2) Overheads:	(7) Cumulative expenditure upto to the reporting period.	(8) Amount spent: Direct or through implementing agency *
1							
2							
3							
	TOTAL						

\*Give details of implementing agency:

9. In case the company has failed to spend the two per cent. of the average net profit of the last three financial years or any part thereof, the reasons for not spending the amount in its Board report.

10. A responsibility statement of the CSR Committee that the implementation and monitoring of CSR Policy, is in compliance with CSR objectives and Policy of the company.

#### **Segment D: DISCLOSURE ABOUT RELATED PARTY TRANSACTIONS**

Disclosure of particulars of contracts/arrangements entered into by the company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arm's length transactions under third proviso thereto

1. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis

(a) Name(s) of the related party and nature of relationship

(b) Nature of contracts/arrangements/transactions

(c) Duration of the contracts / arrangements/transactions

(d) Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any

(e) Justification for entering into such contracts or arrangements or transactions

(f) Date(s) of approval by the Board

(g) Amount paid as advances, if any:

(h) Date on which the special resolution was passed in general meeting as required under first proviso to section 188

2. Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis

(a) Name(s) of the related party and nature of relationship

(b) Nature of contracts/arrangements/transactions

(c) Duration of the contracts / arrangements/transactions

(d) Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any:

(e) Date(s) of approval by the Board, if any:

(f) Amount paid as advances, if any:

**Attachments**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1.*Copy of balance sheet duly authenticated as per section 134<br>(including Board's report, auditors' report and other documents) | <u>Attach</u> |
| 2. Statement of subsidiaries as per section 129  | <u>Attach</u> |
| 3. Statement of the fact and reasons for not adopting balance sheet in<br>The annual general meeting (AGM)                         | <u>Attach</u> |
| 4. Statement of the fact and reasons for not holding the AGM   | <u>Attach</u> |
| 5 Approval letter of extension of financial year or AGM  | <u>Attach</u> |
| 6. Supplementary or test audit report under section 143  | <u>Attach</u> |
| 7. **Copy of Profit and Loss Account duly authenticated as per section 134   | <u>Attach</u> |
| 8. Company CSR policy  | <u>Attach</u> |
| 9. Company CSR report  | <u>Attach</u> |
| 10. Details of subsidiary(s)   | <u>Attach</u> |
| 11. Details of other entity(s)   | <u>Attach</u> |
| 12. Optional attachment(s)   | <u>Attach</u> |

**Verification**

I confirm that all the particulars mentioned above are as per the attached balance sheet and profit and loss account and other related documents, all of which are duly signed and authenticated as required under the Companies Act, 2013.

I also confirm that to the best of my knowledge and belief, the information given in the form and its attachments is correct and complete.

I have been authorised by the Board of directors' resolution number \* \_\_\_\_\_ dated\_\_\_ (DD/MM/YYYY)

To sign and submit this form.

**To be digitally signed by**

Managing Director or manager or secretary of the company \_\_\_\_\_

\*Designation \_\_\_\_\_

\*DIN of the director or Managing Director; or

Income- tax PAN of the manager; or \_\_\_\_\_

Membership number, if applicable or income-tax PAN of the secretary \_\_\_\_\_

(Secretary of a company who is not a member of ICSI, may quote his/her income-tax PAN)

[F. No. 1/19/2013-CL-V]  
RENUKA KUMAR, Jt. Secy.